अनुमोदित

In Compliance of Layout Plan Building Plan ... Unit Set ... Approved ... Letter No. 10725 dt. 24/11/13

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

पेड़ लगाओ–हरियाली बढ़ाओ

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules.

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

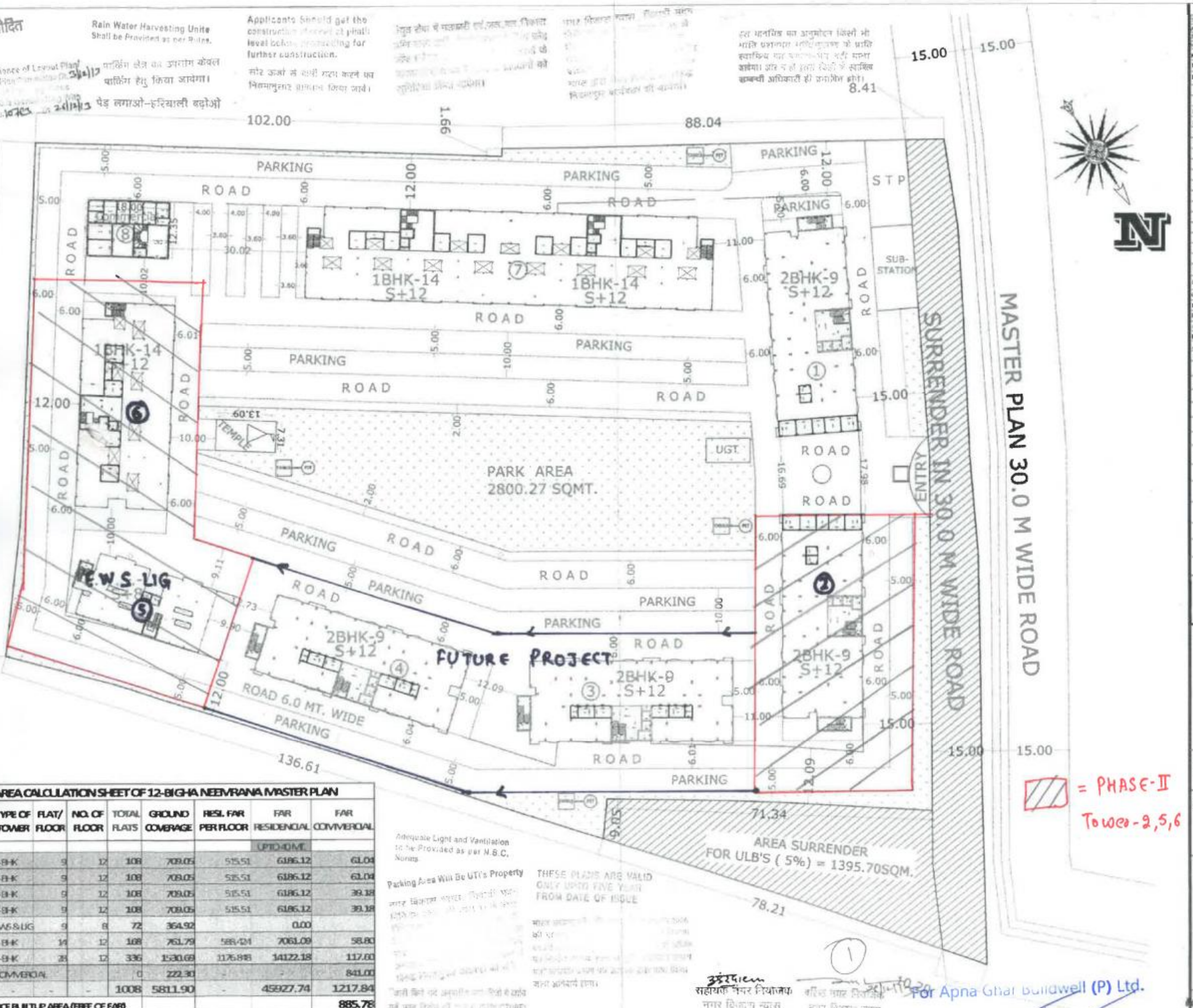

AREA CALCULATION SHEET OF 12-BIGHA NEEMRANA MASTER PLAN

TOWER NO.	TYPE OF TOWER	FLAT/ FLOOR	NO. OF FLOOR	TOTAL FLATS	GROUND COVERAGE	RESI. FAR PER FLOOR	FAR RESIDENCIAL	FAR COMMERCIAL
							UPTO 40 MT.	
1	2-BHK	9	12	108	709.05	515.51	6186.12	61.04
2	2-BHK	9	12	108	709.05	515.51	6186.12	61.04
3	2-BHK	9	12	108	709.05	515.51	6186.12	39.18
4	2-BHK	9	12	108	709.05	515.51	6186.12	39.18
5	EWS & LIG	9	8	72	364.92		0.00	
6	1-BHK	14	12	168	761.79	588.424	7061.09	58.80
7	1-BHK	28	12	336	1530.69	1176.848	14122.18	117.60
8	COMMERCIAL			0	222.30	-	-	841.00
TOTAL	-	-	-	1008	5811.90	-	45927.74	1217.84
	OCF BUILTUP AREA (FREE OF FAR)							885.78
	TEMPLE BUILTUP AREA (FREE OF FAR)				96.00			96.00
					TOTAL BUITUP AREA OF OCF			981.78

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UIT's Property

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

AREA CALCULATION DETAIL

TOTAL PLOT AREA		29695.14	SQMT.	
AREA UNDER ROAD WIDENING		1781.14	SQMT.	
5% AREA SURR. FOR FACILITY		1395.70	SQMT.	
NET PLOT AREA		26518.30	SQMT.	
PERMISSIBLE GROUND COVERAGE	35% @ 26518.30	9281.41	SQMT.	
PERMISSIBLE OCF AREA	5% @ ACHIEVED FAR	2366.79	SQMT.	5.00%
PERMISSIBLE FAR	1.85 @ 26518.30 1.00@ 1781.14	50808.43	SQMT.	1.90%
3% COMMERCIAL FAR	3% @ 50808.43	1524.25	SQMT.	
RESIDENTIAL FAR		49284.18	SQMT.	
PERMISSIBLE GREEN AREA	10% @ NET PLOT AREA	2651.83	SQMT.	
PROPOSED GREEN AREA		4043.86	SQMT.	15.24 %
PROPOSED GROUND COVERAGE		5811.90	SQMT.	21.92 %
PROPOSED FAR				
COMMERCIAL FAR		1217.84	SQMT.	
RESIDENTIAL FAR		45927.74	SQMT.	
EXTRA CORRIDOR AREA		190.24	SQMT.	
TOTAL FAR		47335.82	SQMT.	1.785 %
PERM. CORRIDOR AREA	15% @ Achd. Res. Far AREA	6889.16	SQMT.	
ACHIEVED CORRIDOR AREA		7079.40	SQMT.	
EXTRA CORRIDOR AREA		190.24	SQMT.	
REQ. E.C.U.	RESIDENTIAL	612.27	E.C.U.	
	COMMERCIAL	24.36	E.C.U.	
	EXTRA VISITOR PARKING	159.18	E.C.U.	
	REQ. 2-WHEELER FOR EWS & LIG	24.00	E.C.U.	
TOTAL REQ. E.C.U.		819.81	E.C.U.	
EXTRA FAR (WITH BETTERMENT LEAVY)				
COMMERCIAL FAR		NIL		
RESIDENTIAL FAR		NIL		
PERMISSIBLE HEIGHT (M)		40.0	MT.	
ACHIEVED HEIGHT (M)	38.85	40.5	MT.	
REQUIRED E.W.S. & L.I.G.	5% OF ACHIEVED FAR	2296.39	SQ.MT.	
ACHIEVED BUILTUP E.W.S. & L.I.G.	EWS-40 NOS & LIG-32 NOS.	2300.24	SQ.MT.	
PROPOSED OCF AREA		981.78	SQMT.	2.07 %

PARKING CALCULATION

REQUIRED PARKING	CAR = 75%		597
	2-WHEELER = 20%		159
	BICYCLE = 5%		40
	REQ. 2-WHEELER ECU FOR EWS-LIG		24
	TOTAL		820.00 E.C.U.

DETAIL OF ACHIEVED CAR PARKING

ACHIEVED OPEN CAR E.C.U.	TOTAL	444
ACHIEVED STILT CAR E.C.U.	TOTAL	164
ACHIEVED OPEN SCOOTER E.C.U.	TOTAL	147
ACHIEVED STILT SCOOTER E.C.U.	TOTAL	150
TOTAL ACHIEVED PARKING		= 905.00 E.C.U

OWNER:-
APNA GHAR BUILDWELL PVT. LTD.
290, NAYA-BASS, ALWAR. RAJASTHAN
Alwar Office: C/O PHOOL BAGH SERVICE STATION NEAR CIRCUIT HOUSE, ALWAR. Tel. 0144-3241400
KHASRA NO :- 1205, 1206 AT VILLAGE PIPLI, NEEMRANA, TEH.- BEHROR DISTT.-ALWAR (RAJ.)

DRG. TITLE:-	MASTER PLAN
DRN. BY:- SUNIT TANEJA	SHEET NO.- 01
	SCALE:- 1:500

CONSULTANTS:-
Anoop singh & associates
Engineer, Valuer, Architect, Interiors,
68,69 Alka puri Shopping Centre, Alwar (Raj.)
Ph. 0144-(O)2336003(Fax)2332250 (M)09829137096
Email- anoop.s.associate@gmail.com

For Apna Ghar Buildwell Pvt. Ltd.
Director

ARCHITECT

For Apna Ghar Buildwell (P) Ltd.
Authorised Signatory

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, भिवाड़ी

वरिष्ठ नगर नियोजक नगर विकास न्यास भिवाड़ी (अलवर)

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाड़ी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाड़ी (अलवर)

अनुमोदित
In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 3/2/13
One Set of Building Plans
Approved is issued Along With
Letter No. 10703 Dt. 21/2/13

Rain Water Harvesting Unite
Shall be Provided as per Rules.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जावेगा।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास
अग्नि शमन आदि ... कोड
ऑफ इंडिया ... के
प्रावधानों ... को
सुनिश्चित किया जावेगा।

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन
विनियम ... के
...
न्यास द्वारा ... विरुद्ध
नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति
स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व
सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Adequate Light and Vantilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन
विनियम 2000 की धारा ... के
निर्देशों के ...
...
विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006
की पालना ... दिनांक
04.2.20... से अधिक
का निर्माण ... प्रमाण
पत्र ... प्राप्त किया
जाना अनिवार्य होगा।

OWNER:-
APNA GHAR BUILDWELL PVT. LTD.
290, NAYA-BASS, ALWAR. RAJASTHAN
Alwar Office: C/O PHOOL BAGH SERVICE STATION
NEAR CIRCUIT HOUSE, ALWAR. Tel. 0144-3241400
KHASRA NO :- 1205, 1206 AT
VILLAGE PIPLI, NEEMRANA, TEH.- BEHROR
DISTT.-ALWAR (RAJ.)

DRG. TITLE:-

TOWER NO.-1&2
ALL ELEVATION'S DETAIL PLAN

DRN. BY:-	SHEET NO.- 8 4
Nikhil Anand	SCALE:- 1 : 175

CONSULTANTS:-

Anoop singh & associates
Engineer, Valuer, Architect, Interiors,
68,69 Alka puri Shopping Centre, Alwar (Raj.)
Ph. 0144-(O)2336003(Fax)2332250(M)09829137096
Email- anoop.s.associate@gmail.com

C.O.A. CA/2004/...

For Apna Ghar Buildwell Pvt. Ltd.
Authorised Signatory Director

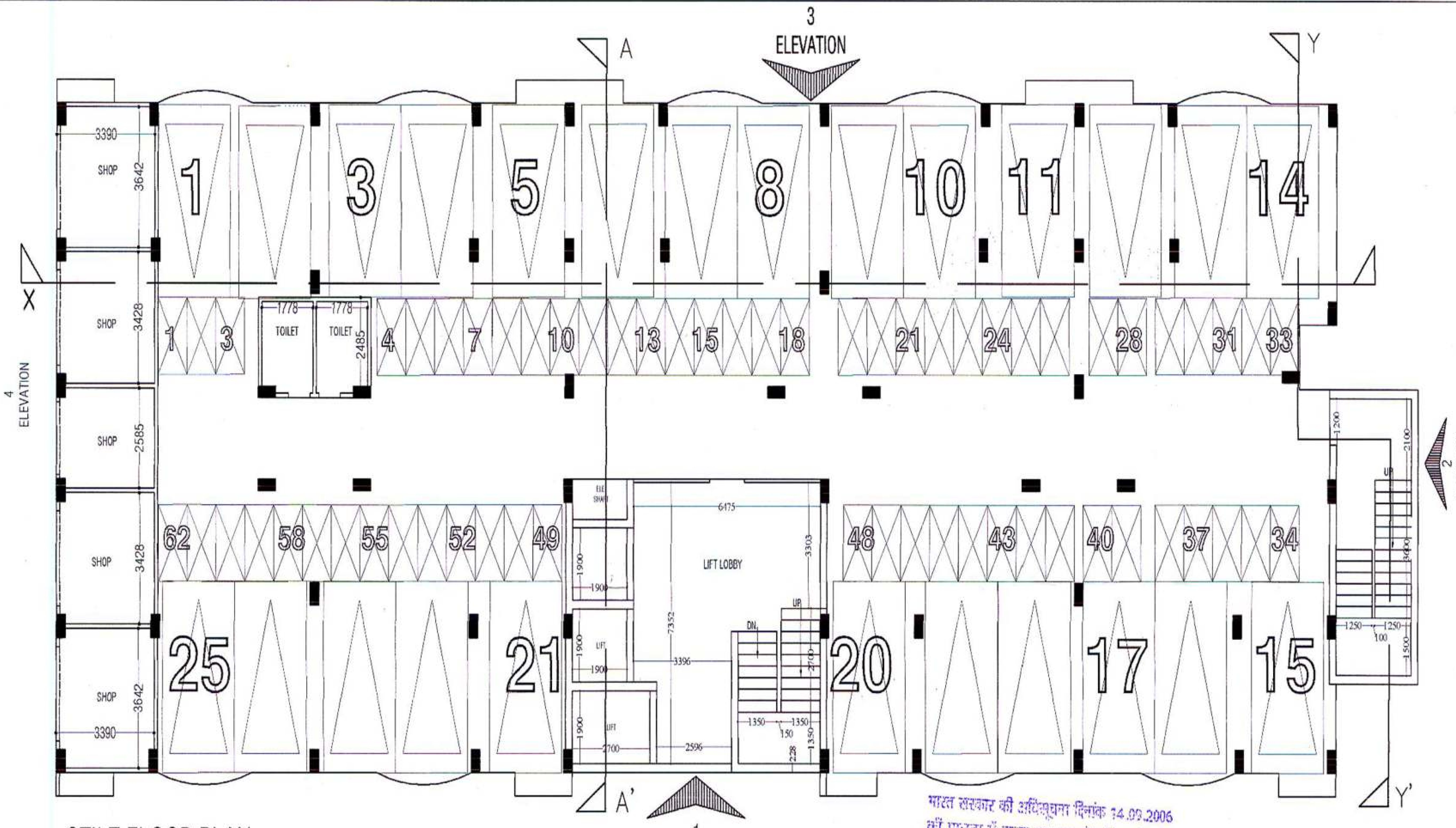

STILT FLOOR PLAN

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में ... से अधिक ... "पर्यावरण प्रमुख पत्र" अन्तर्गत प्रस्ताव पत्र आदेश द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

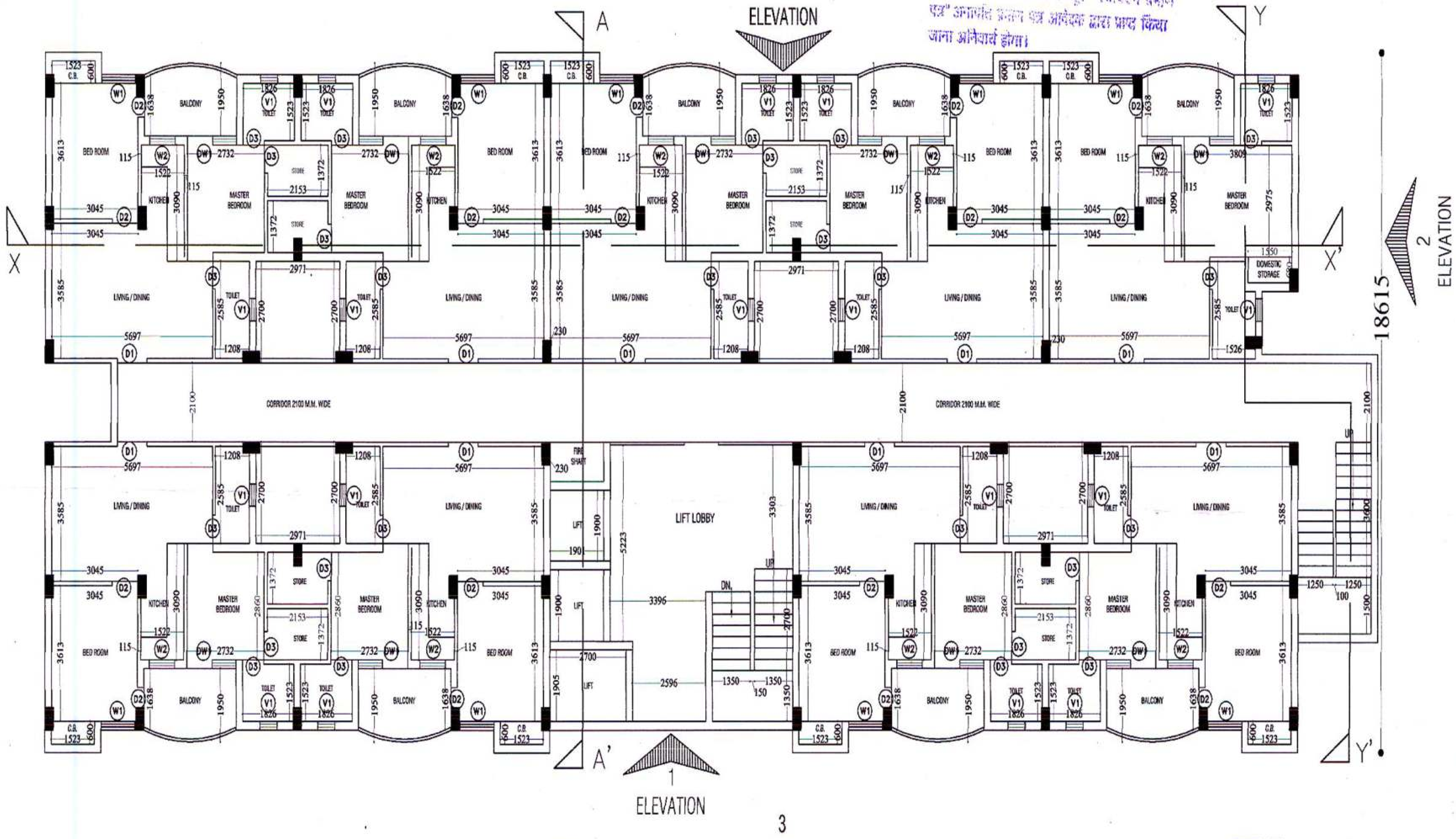

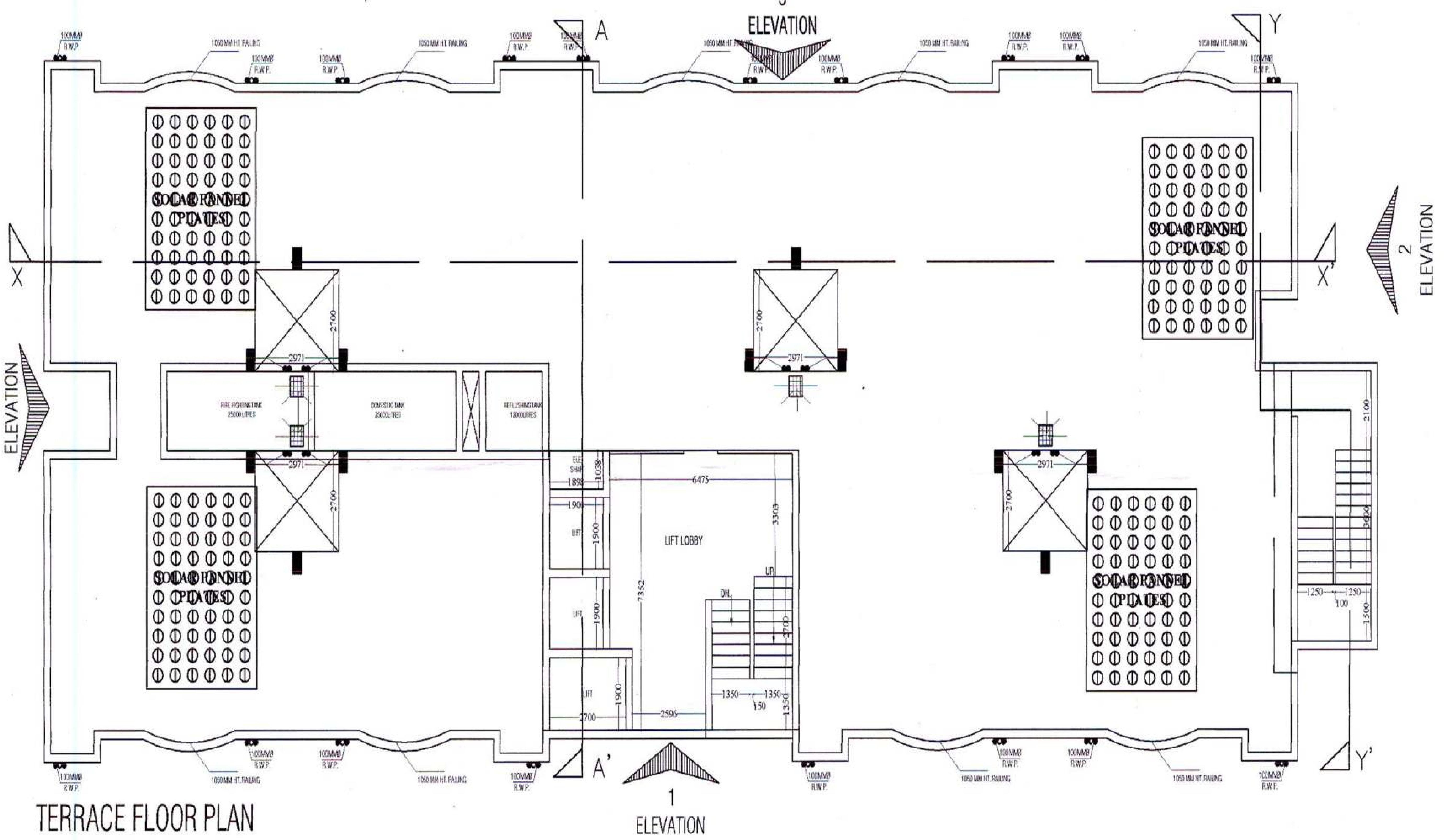

TERRACE FLOOR PLAN

अनुमोदित

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 3/12/13 One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 10783 Dt. 26/12/13

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

पेड़ लगाओ–हरियाली बढ़ाओ

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास/अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/... नियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन विनियम 2000 की धारा ... के ... न्यास द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों ही प्रभावित होंगे।

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के ... विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

"जारी किये गये अनुमोदित भवन-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

(3)

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाड़ी

... नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाड़ी (अलवर)
24/12/17

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

S. NO.	TYPE	SIZE	SILL. LEVEL	HEIGHT
	D1	1050.0	00	2100.0
	D2	900.0	00	2100.0
	D3	750.0	00	2100.0
	W1	1200.0	750.0	2100.0
	W2	900.0	750.0	2100.0
	DW1	1675.0	750.0	2100.0
	V	600.0	1500.0	2100.0

OWNER:-

APNA GHAR BUILDWELL PVT. LTD.

290, NAYA-BASS, ALWAR. RAJASTHAN
Alwar Office: C/O PHOOL BAGH SERVICE STATION
NEAR CIRCUIT HOUSE, ALWAR. Tel. 0144-3241400
KHASRA NO :- **1205, 1206** AT
VILLAGE PIPLI, NEEMRANA, TEH.- BEHROR
DISTT.-ALWAR (RAJ.)

DRG. TITLE:-

TOWER NO.-1&2 (2BHK)
STILT FLOOR PLAN
& FIRST TO TWELVE FLOOR PLAN
& TERRACE FLOOR PLAN

DRN. BY:-	SHEET NO.- 8 (3)
Nikhil Anand	SCALE:- 1 : 125

CONSULTANTS:-

Anoop singh & associates
Engineer, Valuer, Architect, Interiors,
68,69 Alka puri Shopping Centre, Alwar (Raj.)
Ph. 0144-(O)2336003(Fax)2332250 (M)09829137096
Email- anoop.s.associate@gmail.com

OWNER'S SIGN

ARCHITECT'S SIGN.

For Apna Ghar Buildwell Pvt. Ltd.
Director

AR. DALVEER KAUR
C.O.A.
CA/2004/32744
ALWAR

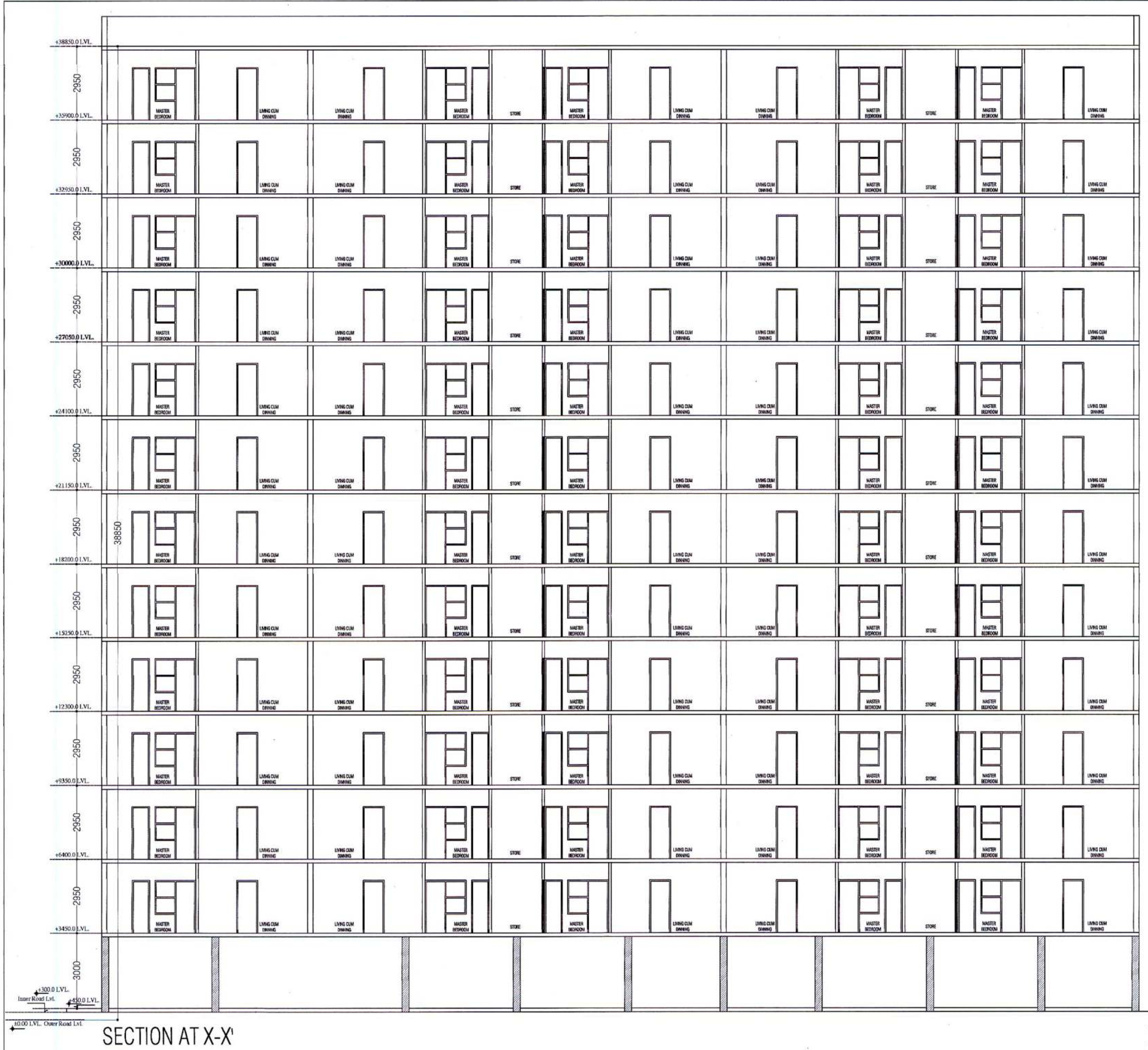

SECTION AT X-X'

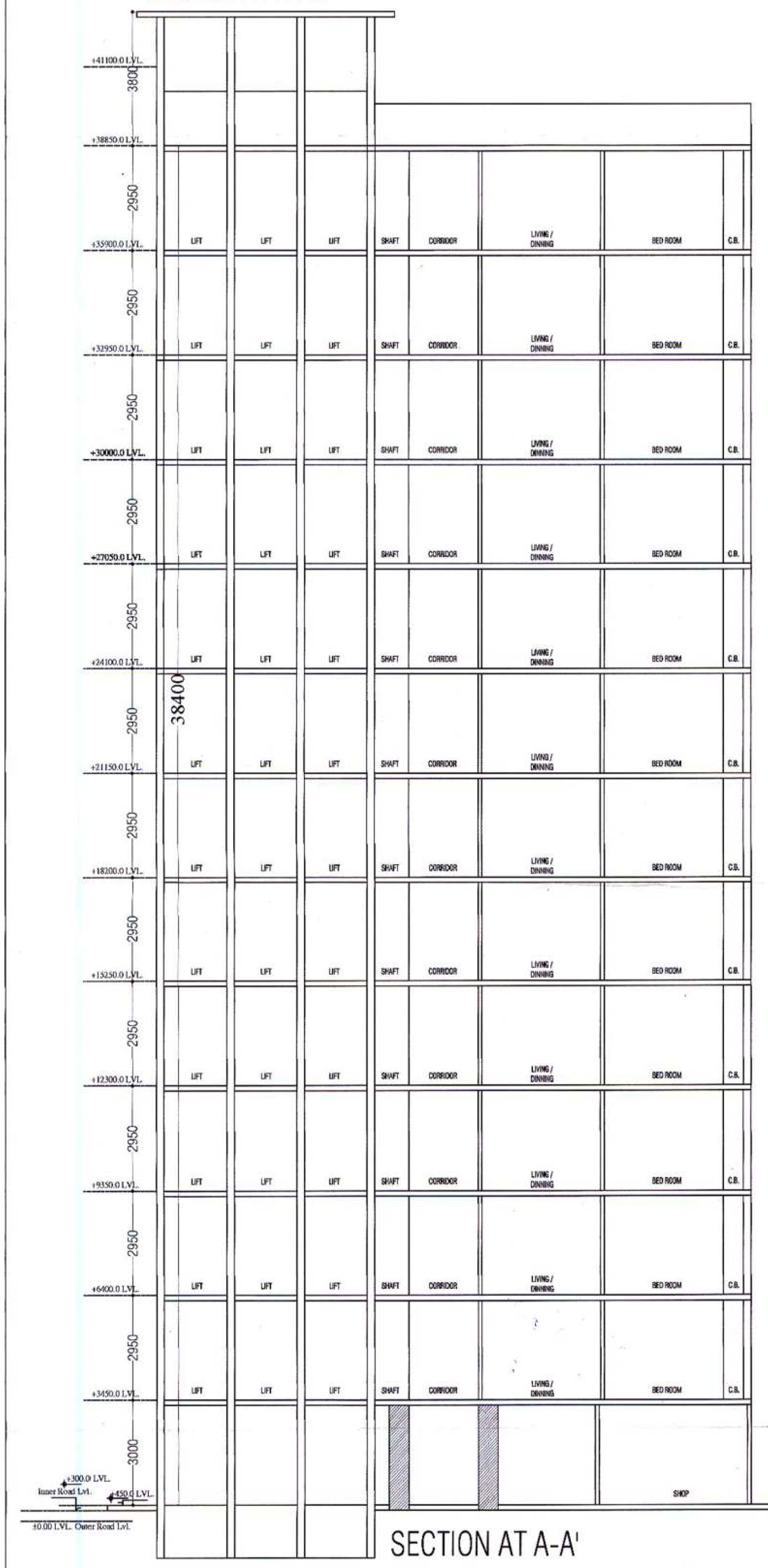

SECTION AT A-A'

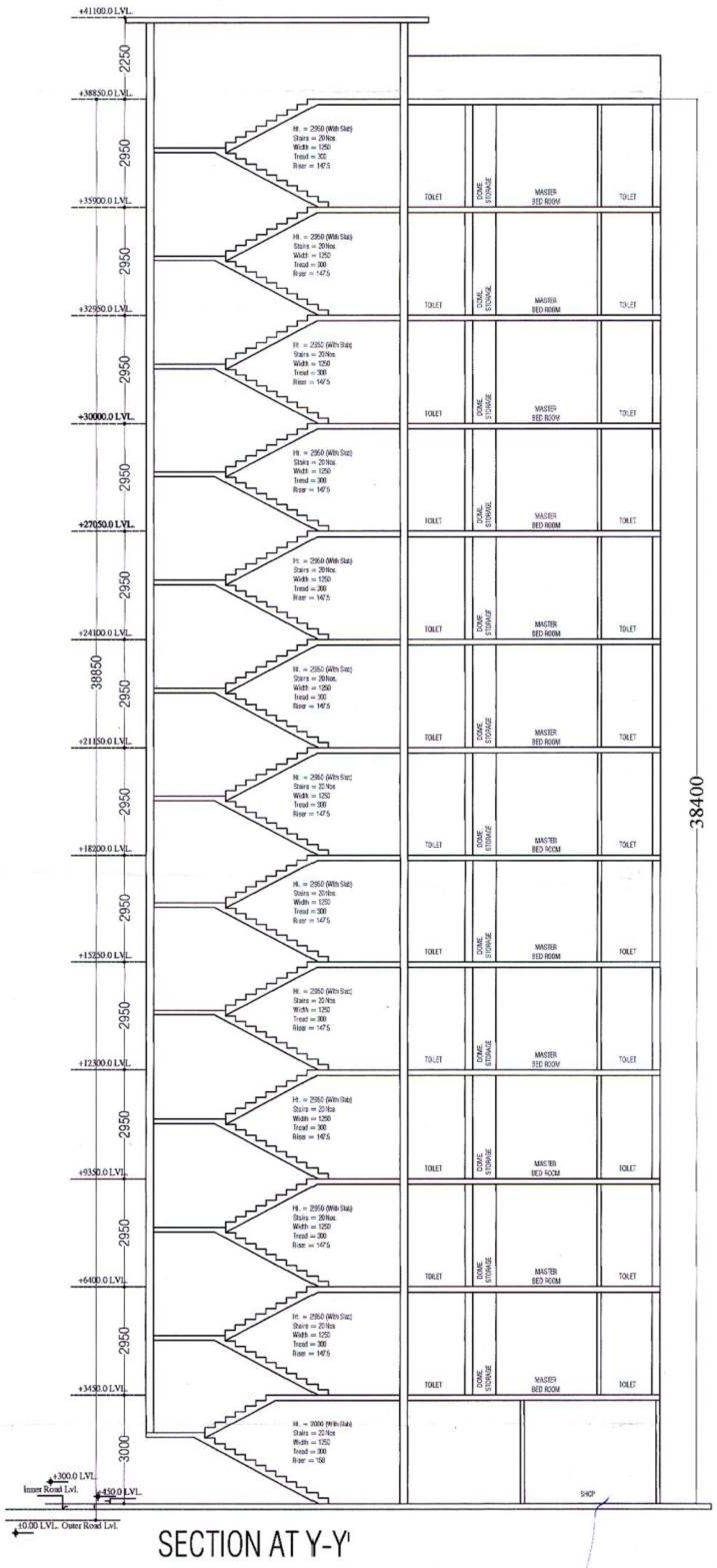

SECTION AT Y-Y'

अनुमोदित
In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 3/12/13
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along With
Letter No. 10783 Dt. 26/12/13

Rain Water Harvesting Unite
Shall be Provided as per Rules.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जावेगा।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया ... नियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन विनियम 2006 ... के ... न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का ... नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन विनियम 2006 की धारा ... के ... विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रो में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में ... दिनांक 04.0... अनिवार्य होगा।

(5)

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाड़ी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाड़ी (अलवर)

OWNER:-
APNA GHAR BUILDWELL PVT. LTD.
290, NAYA-BASS, ALWAR. RAJASTHAN
Alwar Office: C/O PHOOL BAGH SERVICE STATION
NEAR CIRCUIT HOUSE, ALWAR. Tel. 0144-3241400
KHASRA NO :- **1205, 1206** AT
VILLAGE PIPLI, NEEMRANA, TEH.- BEHROR
DISTT.-ALWAR (RAJ.)

DRG. TITLE:-

TOWER NO.-1&2
ALL SECTION'S DETAIL PLAN

DRN. BY:- Nikhil Anand

SHEET NO.- 5

SCALE:- 1 : 125

CONSULTANTS:-

Anoop singh & associates
Engineer, Valuer, Architect, Interiors,
68,69 Alka puri Shopping Centre, Alwar (Raj.)
Ph. 0144-(O)2336003(Fax)2332250 (M)09829137096
Email- anoop.s.associate@gmail.com

OWNER'S SIGN

For Apna Ghar Buildwell Pvt. Ltd.
Director

ARCHITECT SIGN

AR. DALVEER KAUR
C.O.A. CA/2004/32744
ALWAR

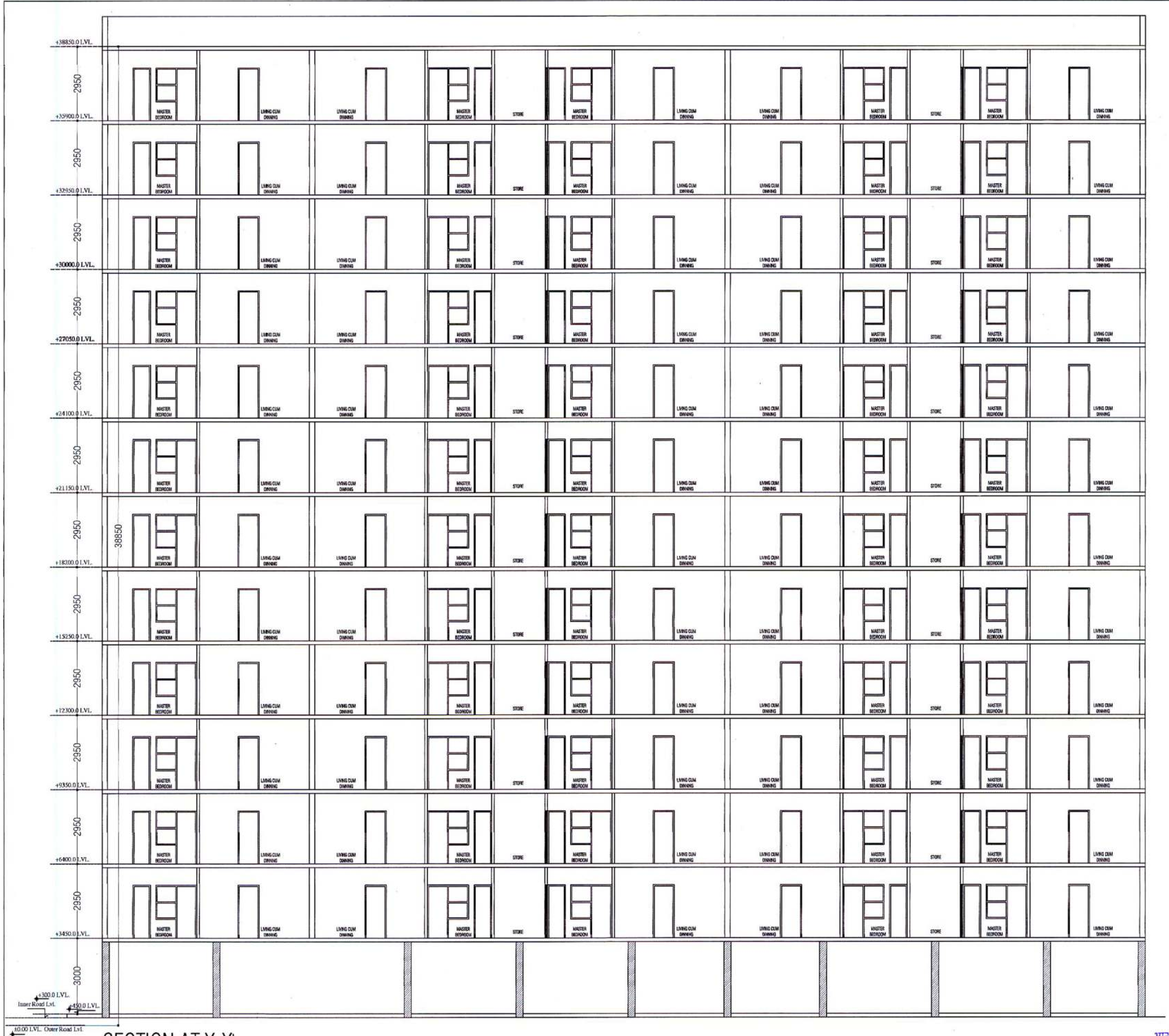

SECTION AT X-X'

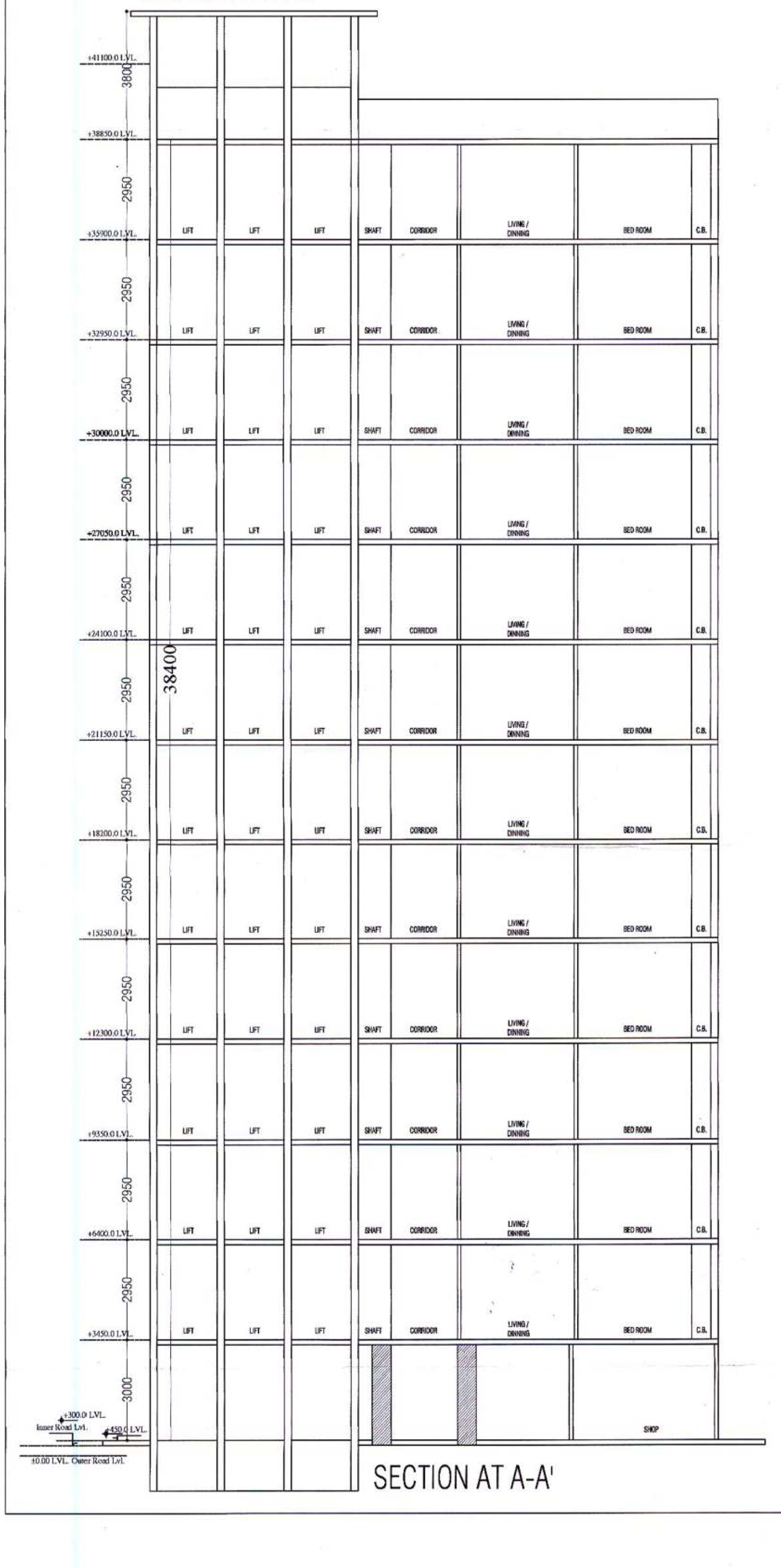

SECTION AT A-A'

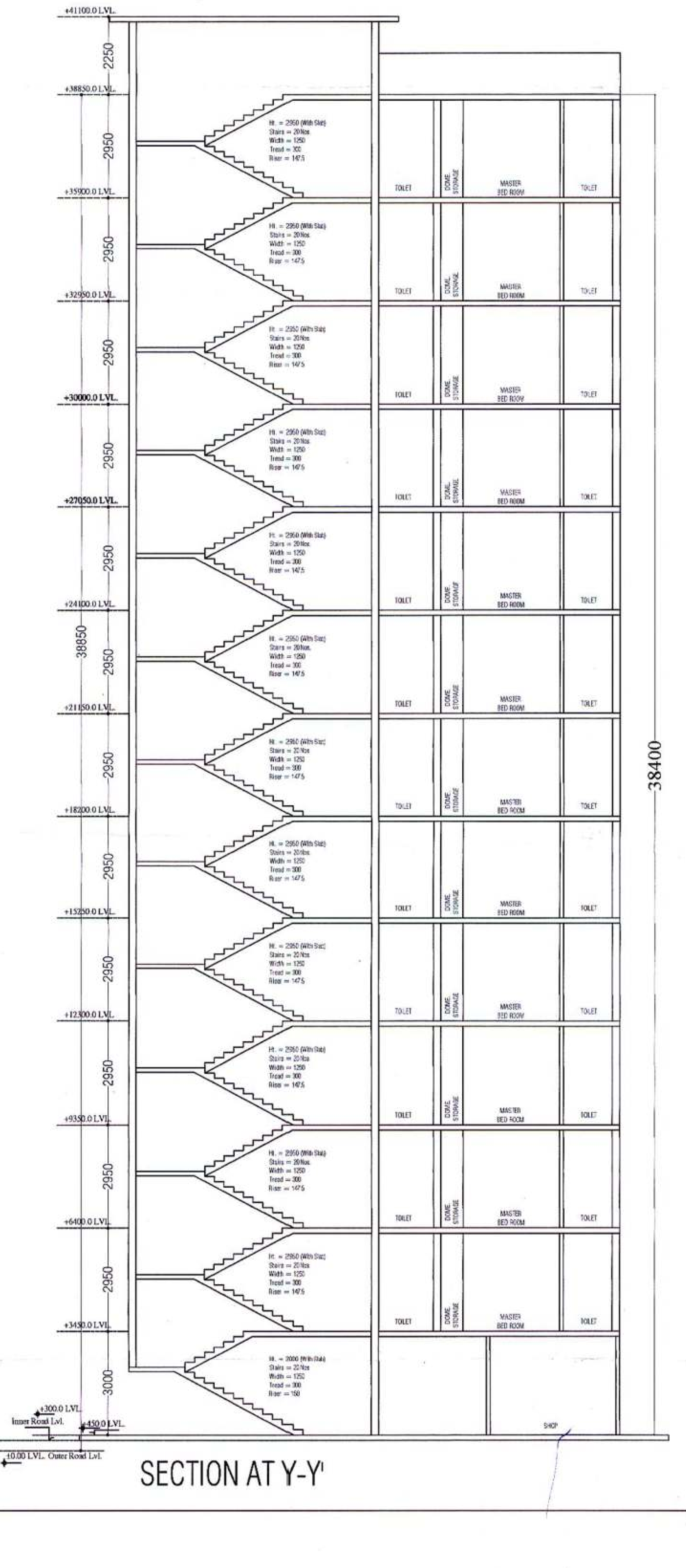

SECTION AT Y-Y'

अनुमोदित
In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 3/12/13
One Set of Building Plans Approved is Issued Along With
Letter No. 10783 Dt. 26/12/13

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया ... नियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन विनियम 2006 ... [illegible] न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों ही प्रभावित होंगे।

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन विनियम 2006 की धारा ... [illegible] अन्यथा ... विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में ... [illegible] दिनांक 04.0... [illegible] अनिवार्य होगा।

(5)

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाड़ी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाड़ी (अलवर)

OWNER:-
APNA GHAR BUILDWELL PVT. LTD.
290, NAYA-BASS, ALWAR. RAJASTHAN
Alwar Office: C/O PHOOL BAGH SERVICE STATION
NEAR CIRCUIT HOUSE, ALWAR. Tel. 0144-3241400
KHASRA NO :- **1205, 1206** AT
VILLAGE PIPLI, NEEMRANA, TEH.- BEHROR
DISTT.-ALWAR (RAJ.)

DRG. TITLE:-

TOWER NO.-1&2
ALL SECTION'S DETAIL PLAN

DRN. BY:- Nikhil Anand

SHEET NO.- 5

SCALE:- 1 : 125

CONSULTANTS:-

Anoop singh & associates
Engineer, Valuer, Architect, Interiors,
68,69 Alka puri Shopping Centre, Alwar (Raj.)
Ph. 0144-(O)2336003(Fax)2332250 (M)09829137096
Email- anoop.s.associate@gmail.com

OWNER'S SIGN
For Apna Ghar Buildwell Pvt. Ltd.
Director

ARCHITECT SIGN
AR. DALVEER KAUR
C.O.A. CA/2004/32744
ALWAR

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में ... 04.02.2011 ... से अधिक ... प्रमाण पत्र" अग्रवाली ... प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाड़ी

उप नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाड़ी (अलवर)

ELEVATION-1

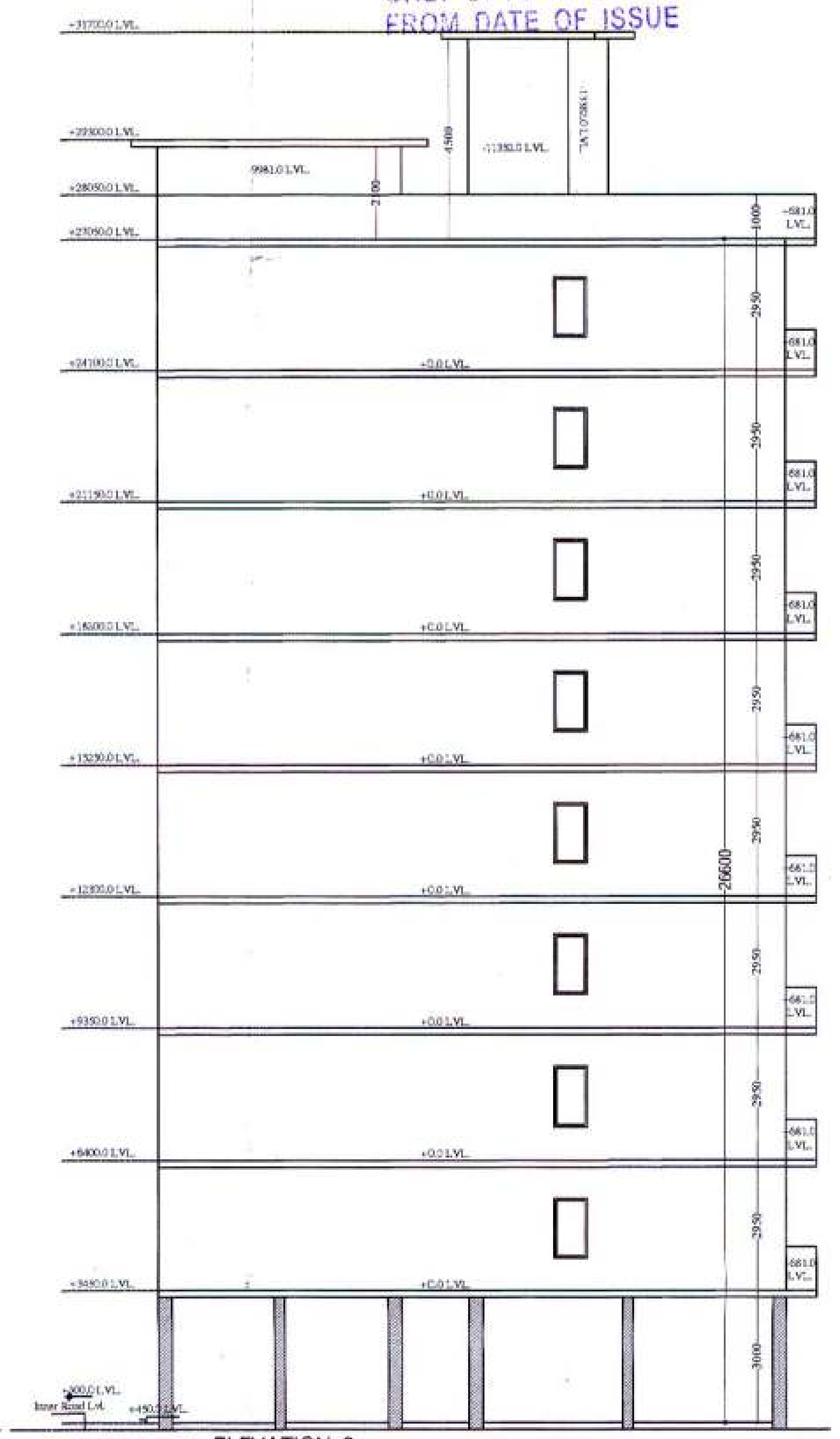

ELEVATION-2

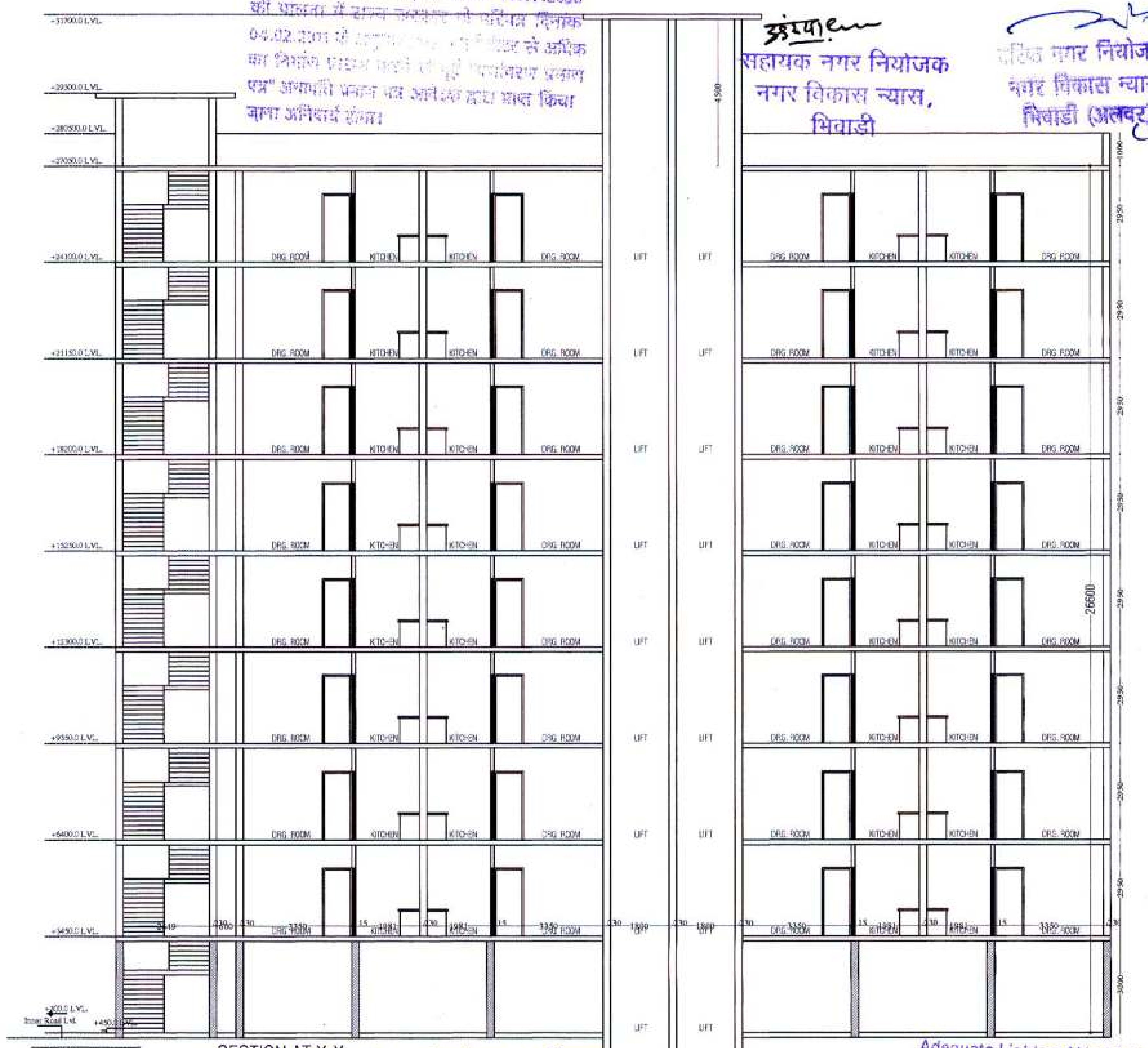

SECTION AT X-X

अनुमोदित

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 3/12/15
One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 10783 Dt. 26/12/15

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

पेड़ लगाओ–हरियाली बढ़ाओ

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

विद्युत संस्था में नलकारी एवं जल, मल, निकास अग्नि शमन आदि ... बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया ... विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन विनियम 2000 की धारा ... के ... विशेष ... न्यास द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन विनियम 2000 की धारा ... अन्यथा ... द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

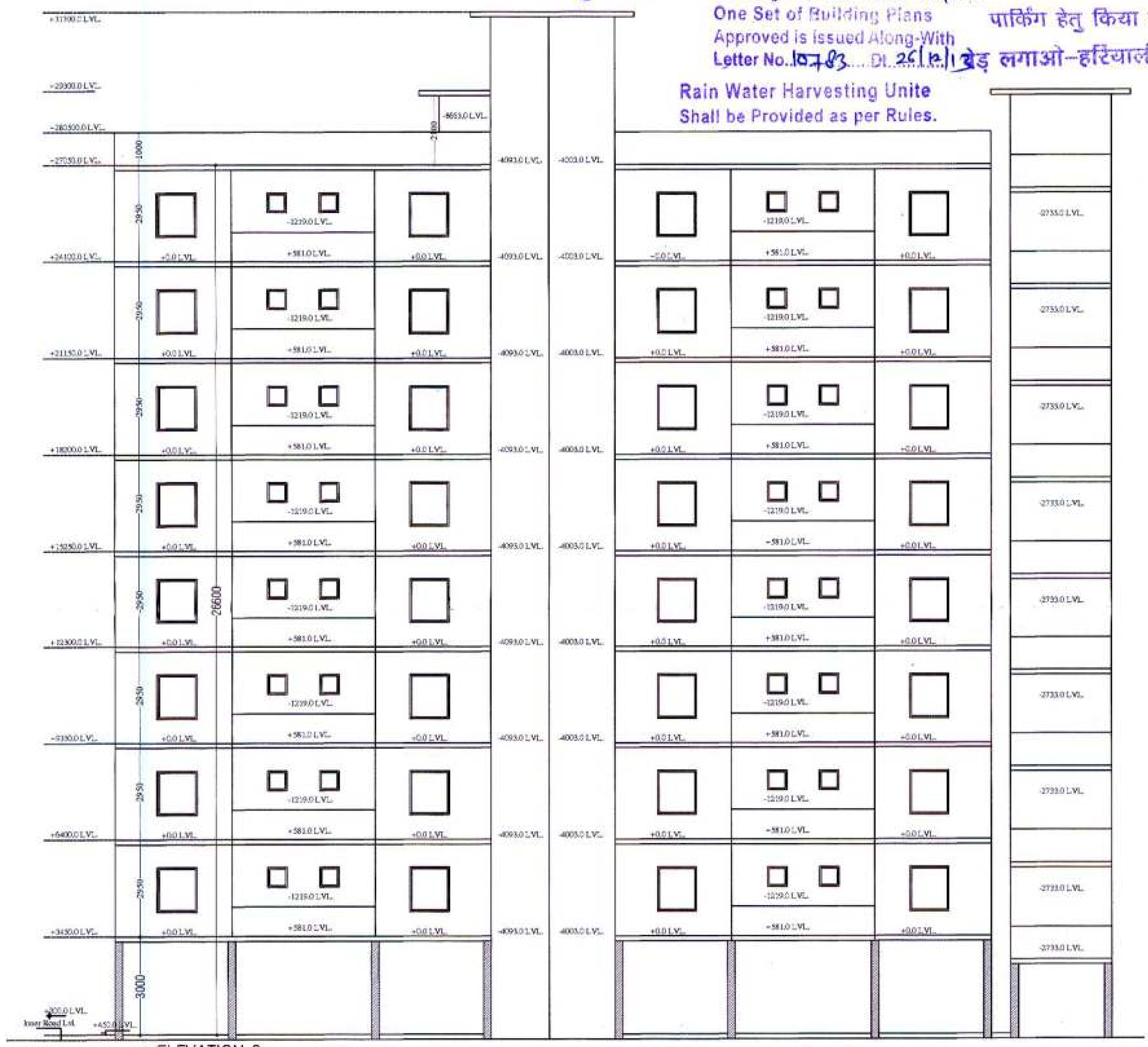

ELEVATION-3

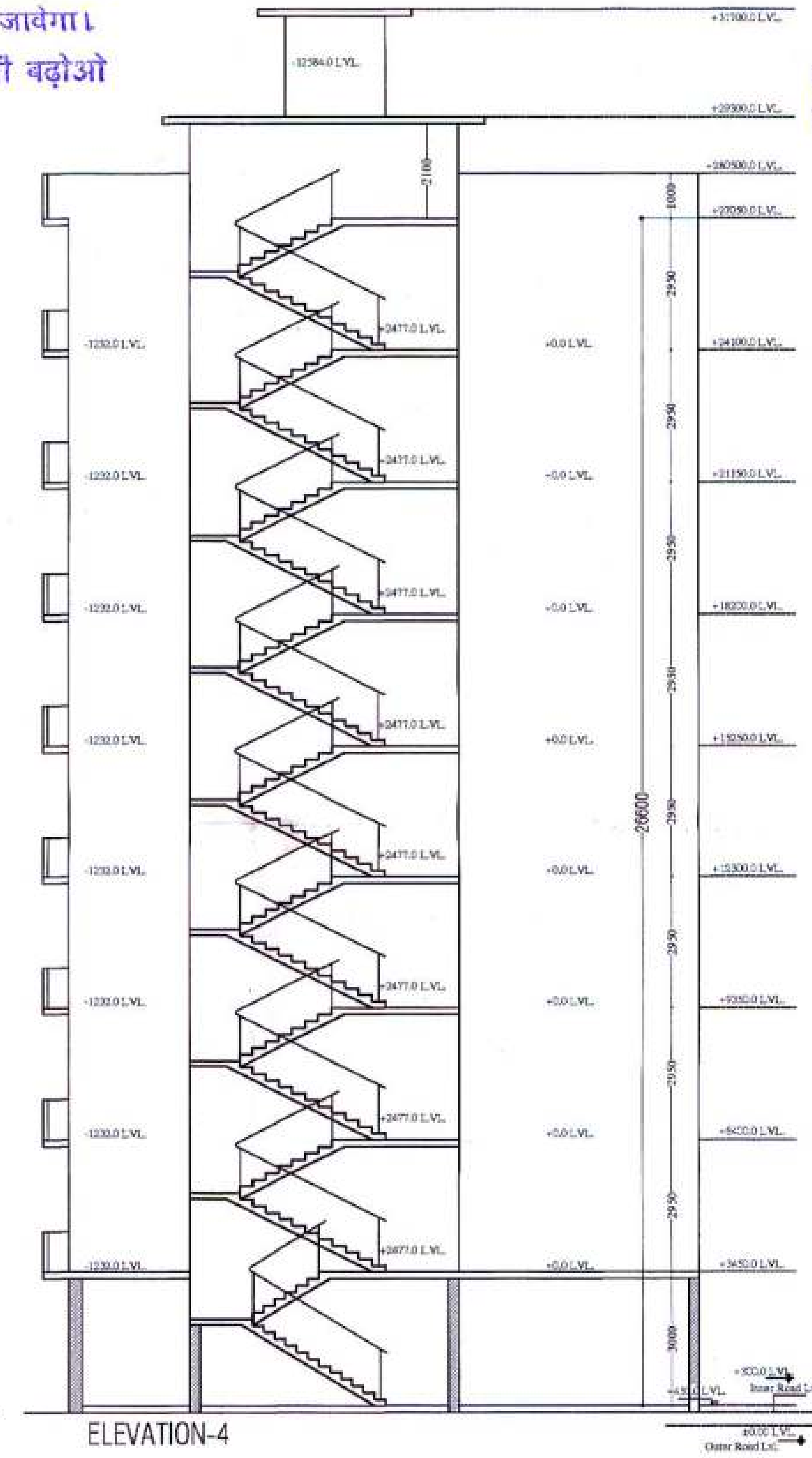

ELEVATION-4

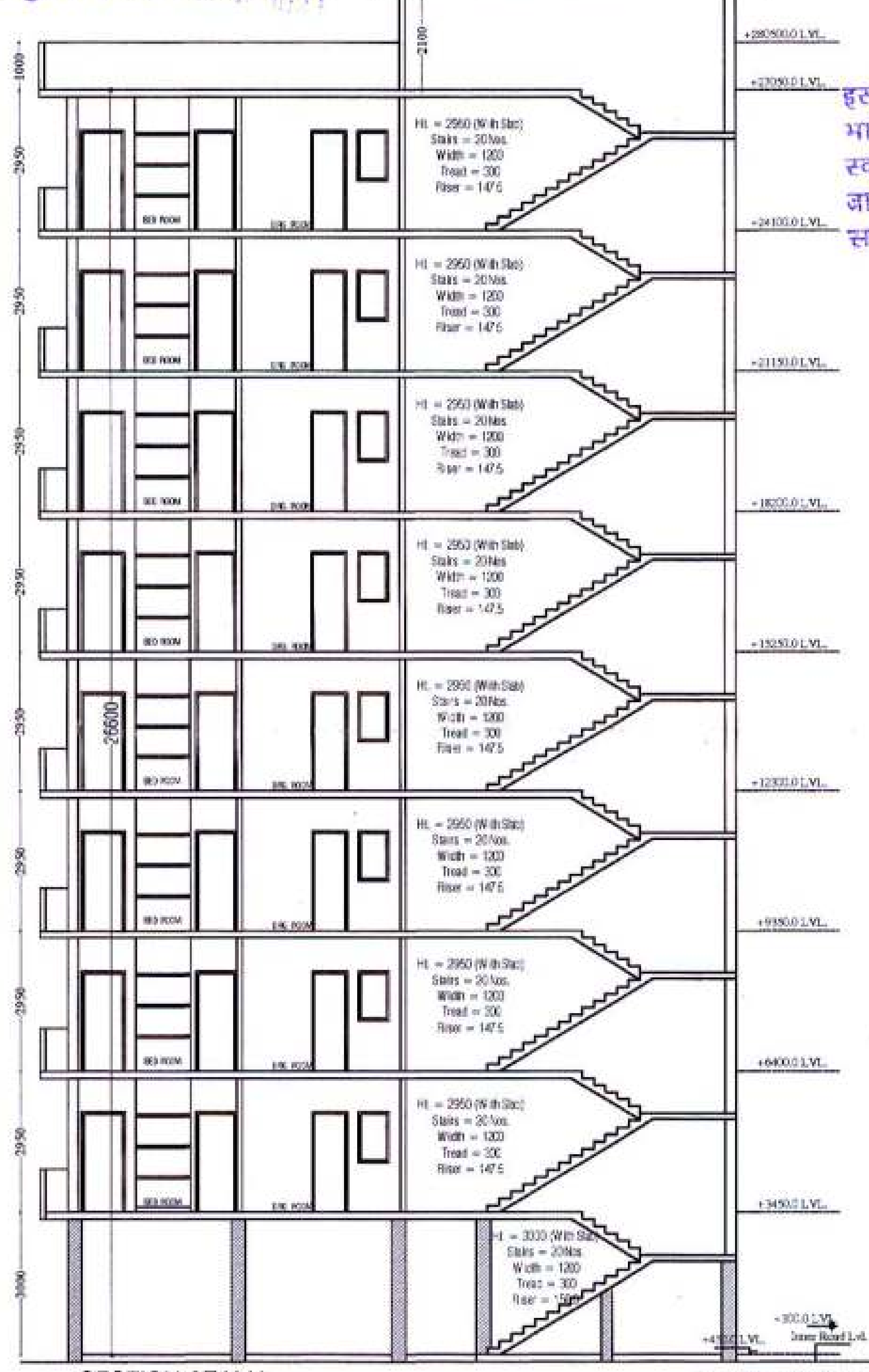

SECTION AT Y-Y

OWNER:-
APNA GHAR BUILDWELL PVT. LTD.
290, NAYA-BASS, ALWAR. RAJASTHAN
Alwar Office: C/O PHOOL BAGH SERVICE STATION
NEAR CIRCUIT HOUSE, ALWAR. Tel. 0144-3241400
KHASRA NO :- **1205, 1206** AT
VILLAGE PIPLI, NEEMRANA, TEH.- BEHROR
DISTT.-ALWAR (RAJ.)

DRG. TITLE:-
TOWER NO.-5
ALL ELEVATION'S & SECTION'S DETAIL

DRN. BY:-	SHEET NO.- ~~15~~ (10)
Himanshu Saini	SCALE:- 1 : 150

CONSULTANTS:-

Anoop singh & associates
Engineer, Valuer, Architect, Interiors,
68,69 Alka puri Shopping Centre, Alwar (Raj.)
Ph. 0144-(O)2336003(Fax)2332250 (M)09829137096
Email- anoop.s.associate@gmail.com

OWNER'S SIGN
For Apna Ghar Buildwell Pvt. Ltd.
Director

ARCHITECT'S SIGN
DALVEER KAUR
CA/2004/32744
ALWAR

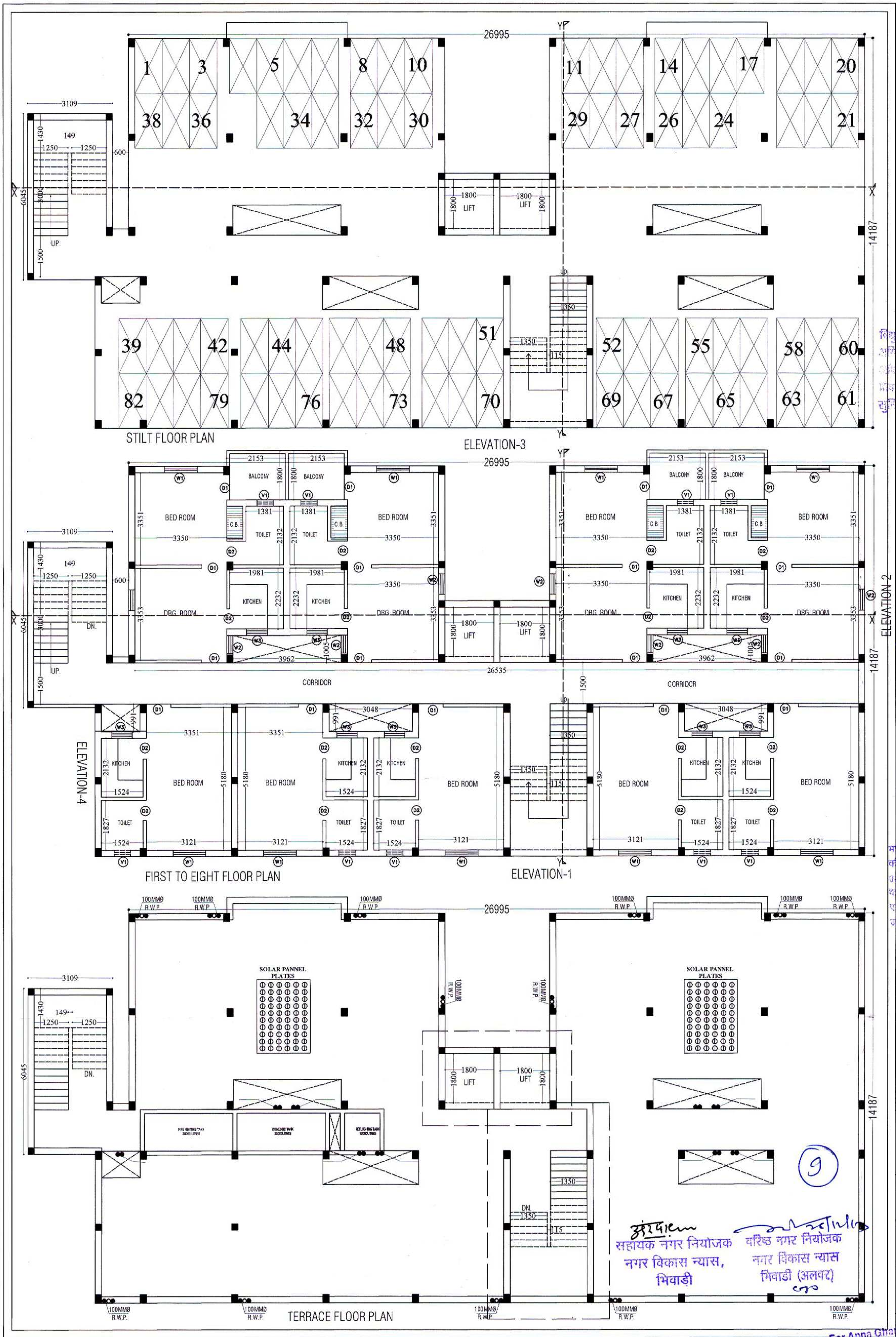

अनुमोदित

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 3/12/13 One Set of Building Plans Approved is issued Along-With Letter No. 10703 Dt. 26/12/13

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास [illegible] कोड [illegible] के [illegible] को सुनिश्चित किया जावेगा।

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन विनियम 2000 की धारा [illegible] के [illegible] न्यास द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगे।

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UIT's Property

[illegible] अन्यथा [illegible] न्यास द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रो में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में [illegible] दिनांक 04.02.2011 [illegible]

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

S. NO.	TYPE	SIZE	SILL LEVEL	HEIGHT
	D1	900.0	00	2100.0
	D2	750.0	00	2100.0
	W1	1200.0	750.0	2100.0
	W2	650.0	750.0	2100.0
	W3	750.0	1050.0	2100.0
	V1	600.0	1500.0	2100.0

OWNER:-

APNA GHAR BUILDWELL PVT. LTD.

290, NAYA-BASS, ALWAR, RAJASTHAN
Alwar Office: C/O PHOOL BAGH SERVICE STATION NEAR CIRCUIT HOUSE, ALWAR. Tel. 0144-3241400
KHASRA NO :- 1205, 1206 AT VILLAGE PIPLI, NEEMRANA, TEH.- BEHROR DISTT.-ALWAR (RAJ.)

DRG. TITLE:-

TOWER NO.-5
STILT FLOOR PLAN
& FIRST TO EIGHT FLOOR PLAN
& TERRACE FLOOR PLAN

(9)

DRN. BY:- Himanshu Saini | SHEET NO.- 9 | SCALE:- 1 : 100

CONSULTANTS:-

Anoop singh & associates
Engineer, Valuer, Architect, Interiors,
68,69 Alka puri Shopping Centre, Alwar (Raj.)
Ph. 0144-(O)2336003(Fax)2332250 (M)09829137096
Email- anoop.s.associate@gmail.com

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, भिवाड़ी

वरिष्ठ नगर नियोजक नगर विकास न्यास भिवाड़ी (अलवर)

For Apna Ghar Buildwell Pvt. Ltd.
Director

AR. DALVEER KAUR C.O.A. CA/2004/32744 ALWAR

10

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की [illegible] दिनांक 04.02.20[illegible] [illegible] से अधिक का निर्माण [illegible] पत्र" अथारिटी [illegible] द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

[illegible] नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

ELEVATION-1

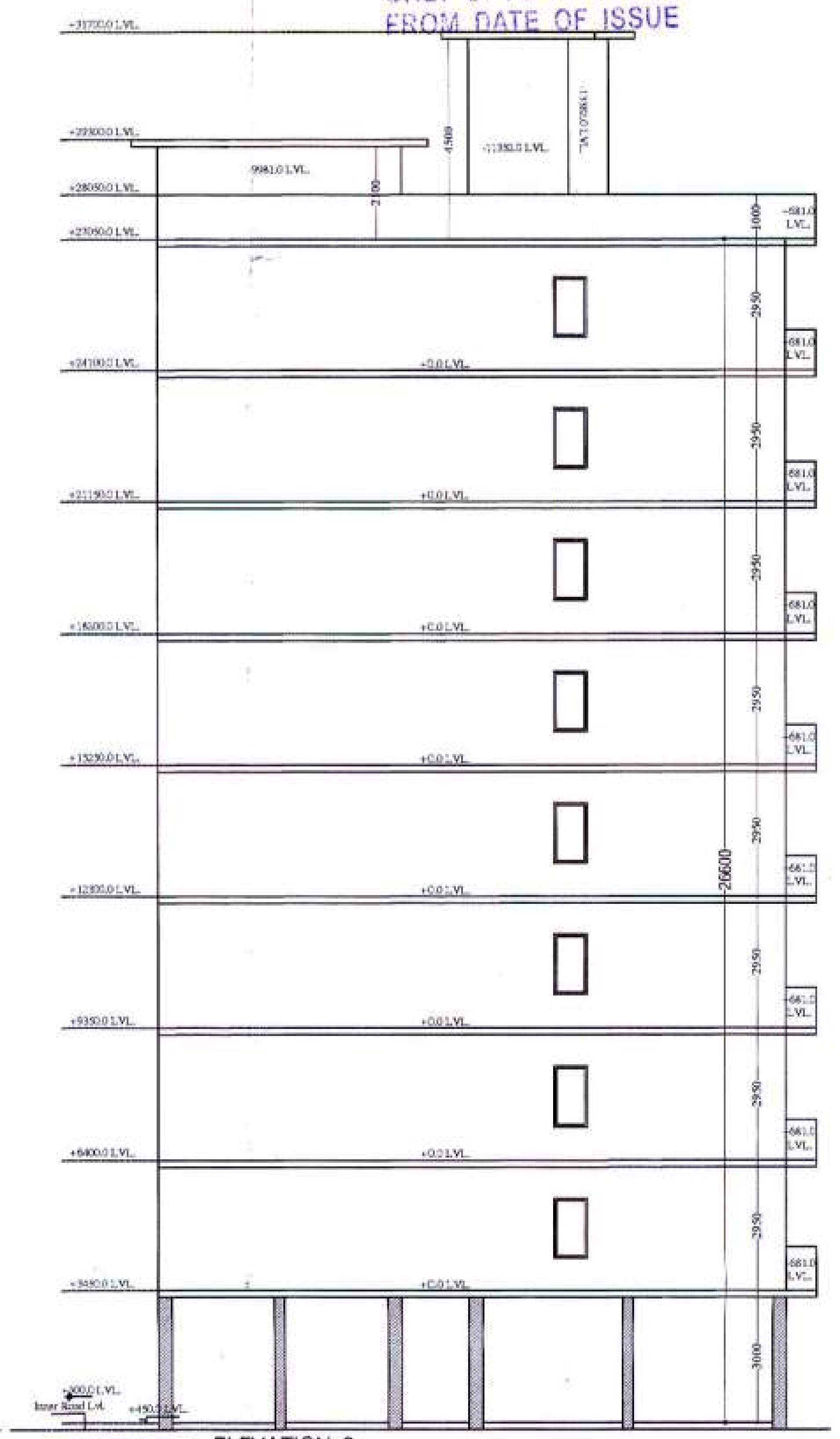

ELEVATION-2

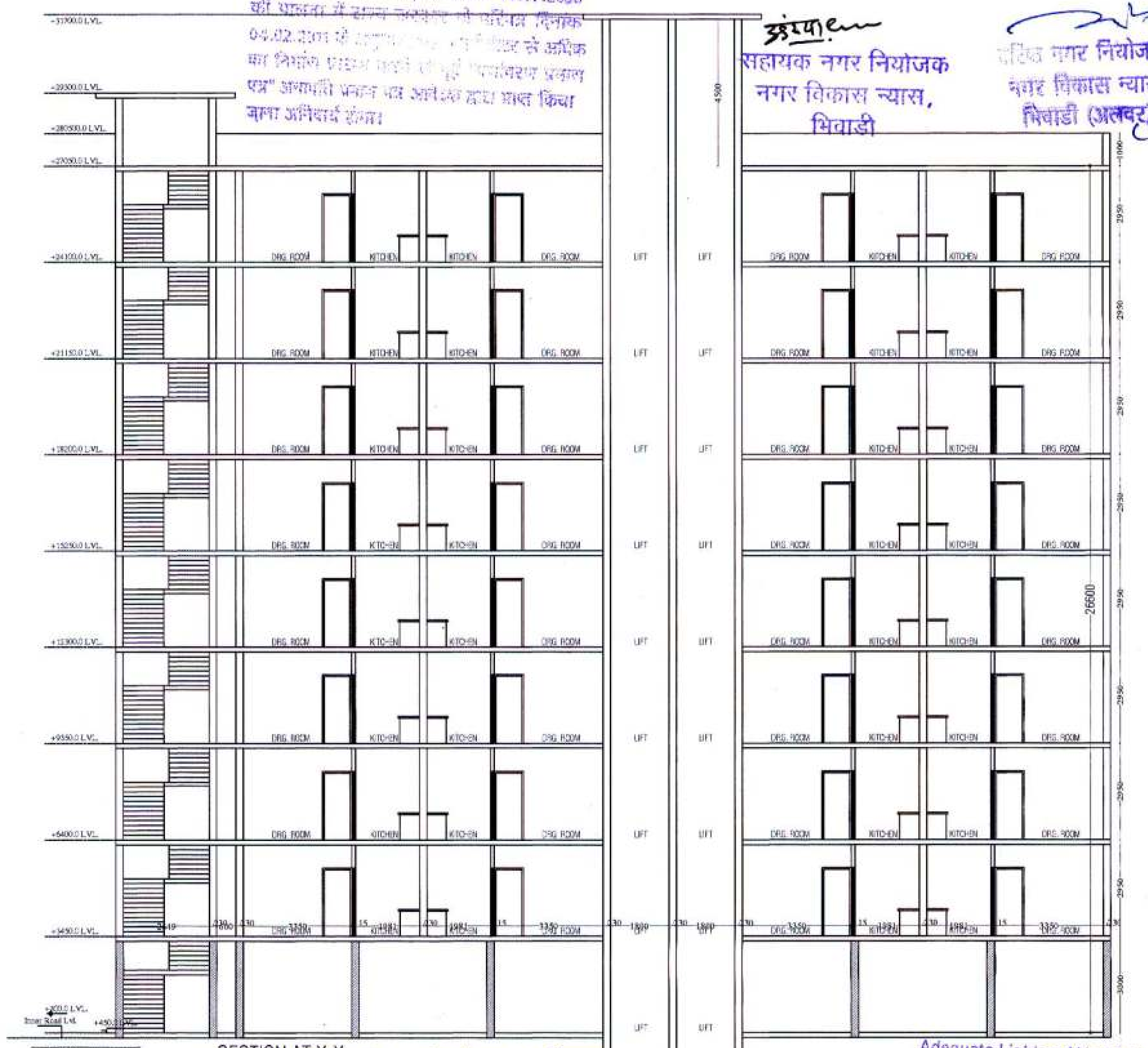

SECTION AT X-X

अनुमोदित

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 3/12/15
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 10783 ... Dt. 26/12/15

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

पेड़ लगाओ–हरियाली बढ़ाओ

Rain Water Harvesting Unite
Shall be Provided as per Rules.

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

विद्युत [illegible] में नलकारी एवं जल, मल, निकास अग्नि शमन [illegible] कोड ऑफ इण्डिया [illegible] विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा [illegible] के [illegible] न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण–पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम [illegible] अन्यथा [illegible] विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

"जारी किये गये अनुमोदित मान–चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

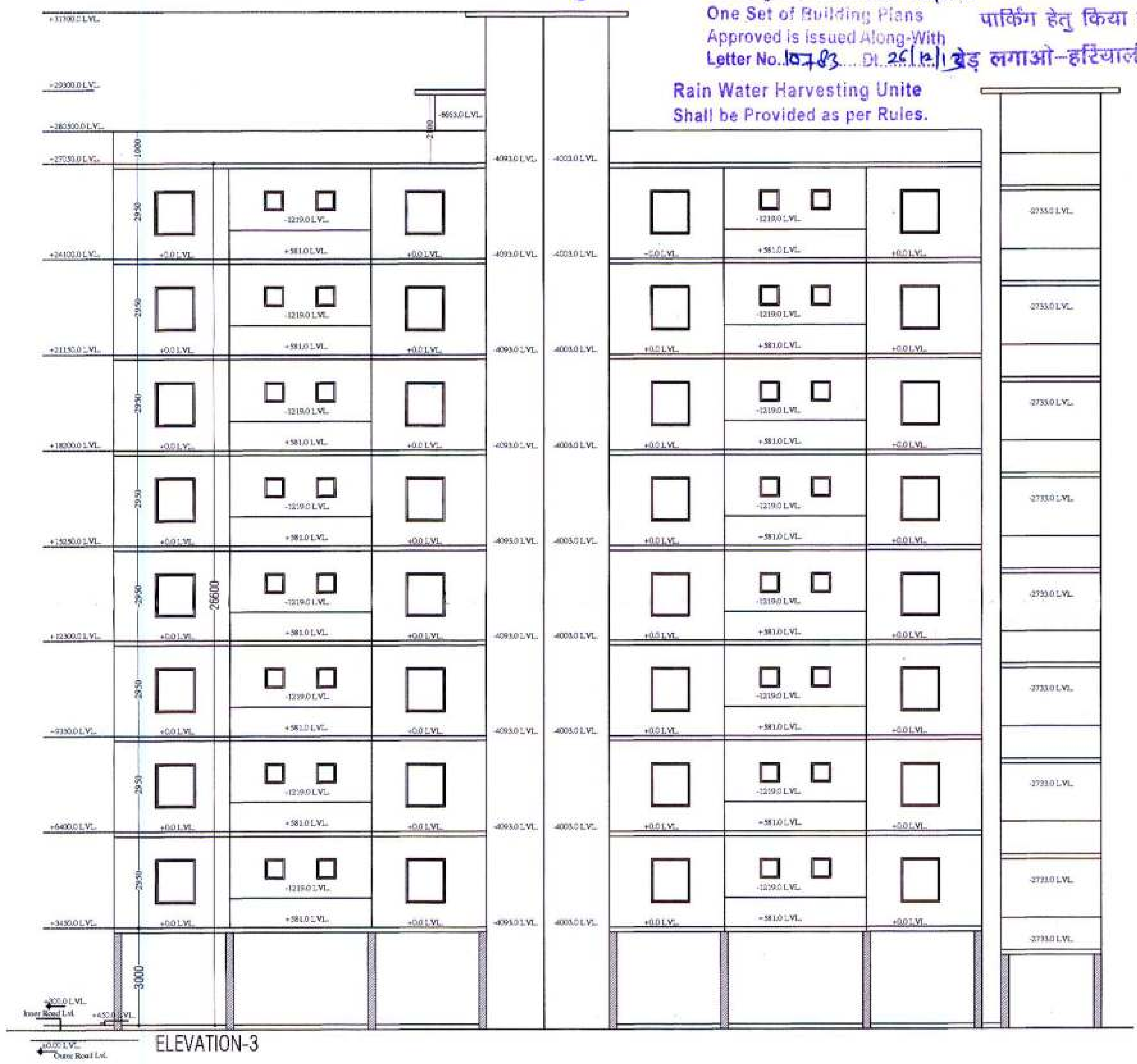

ELEVATION-3

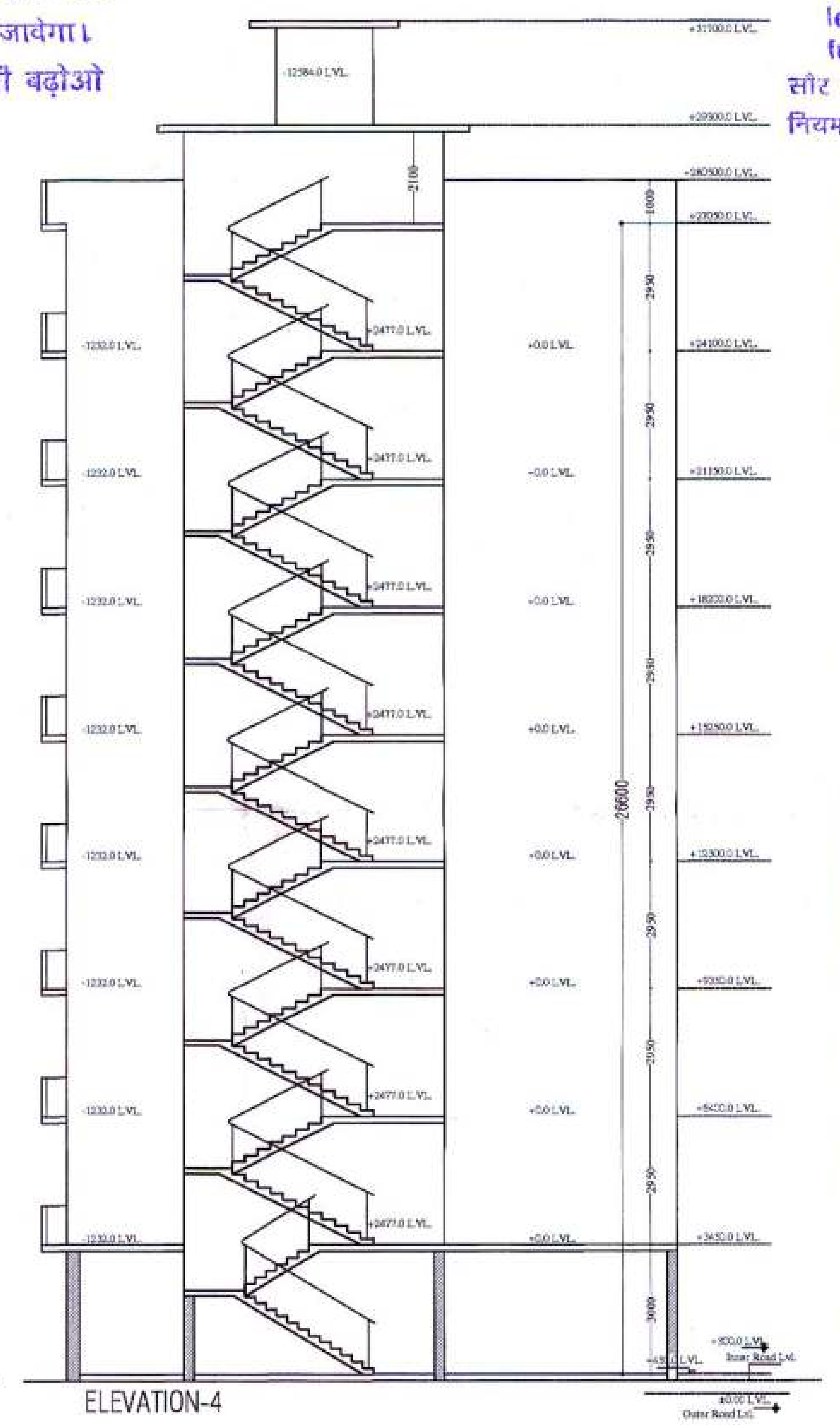

ELEVATION-4

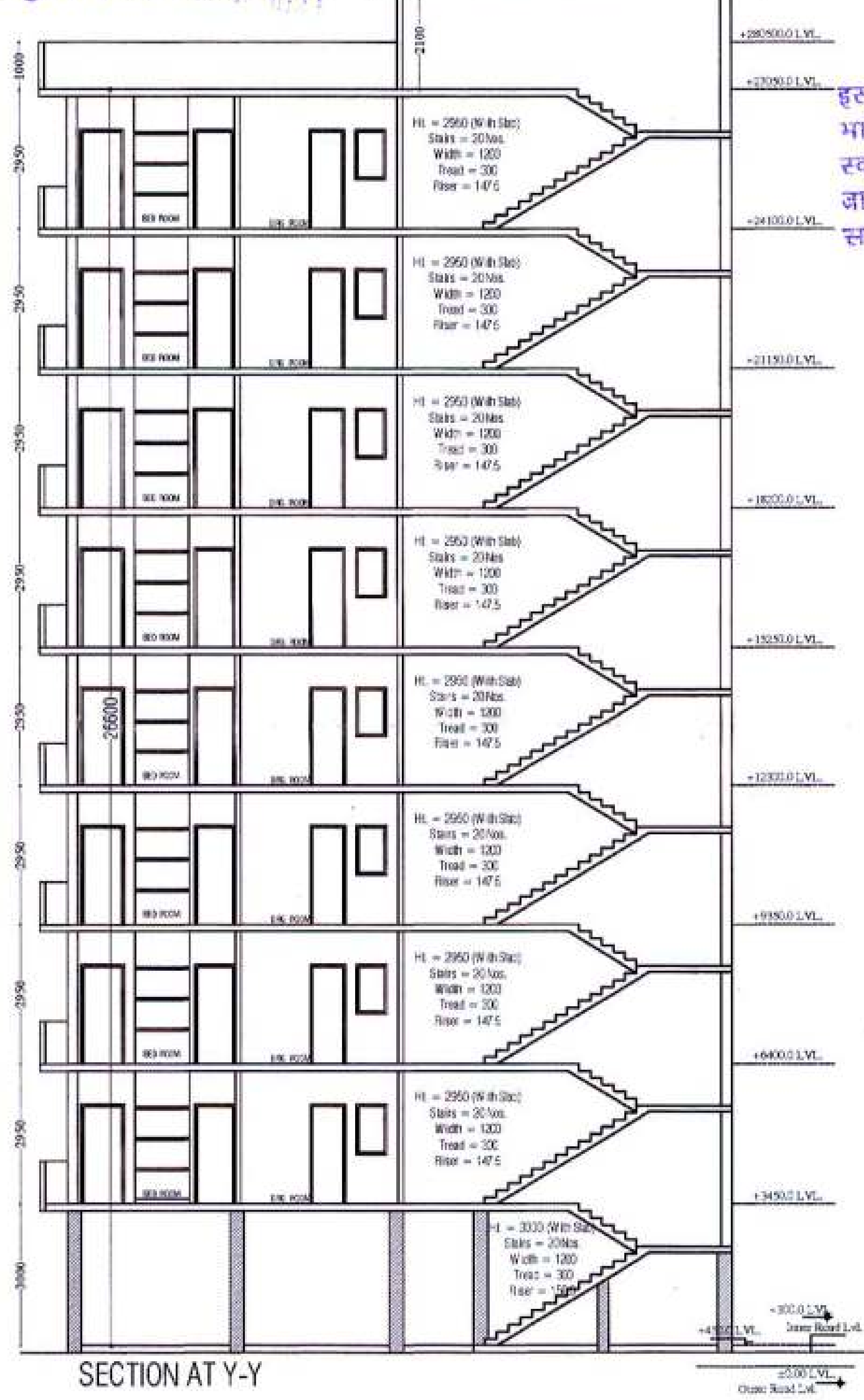

SECTION AT Y-Y

OWNER:-
APNA GHAR BUILDWELL PVT. LTD.
290, NAYA-BASS, ALWAR. RAJASTHAN
Alwar Office: C/O PHOOL BAGH SERVICE STATION
NEAR CIRCUIT HOUSE, ALWAR. Tel. 0144-3241400
KHASRA NO :- **1205, 1206** AT
VILLAGE PIPLI, NEEMRANA, TEH.- BEHROR
DISTT.-ALWAR (RAJ.)

DRG. TITLE:-
TOWER NO.-5
ALL ELEVATION'S &
SECTION'S DETAIL

DRN. BY:-	SHEET NO.- ~~15~~ 10
Himanshu Saini	SCALE:- 1 : 150

CONSULTANTS:-

Anoop singh & associates
Engineer, Valuer, Architect, Interiors,
68,69 Alka puri Shopping Centre, Alwar (Raj.)
Ph. 0144-(O)2336003(Fax)2332250 (M)09829137096
Email- anoop.s.associate@gmail.com

OWNER'S SIGN
For Apna Ghar Buildwell Pvt. Ltd.
Director

ARCHITECT'S SIGN

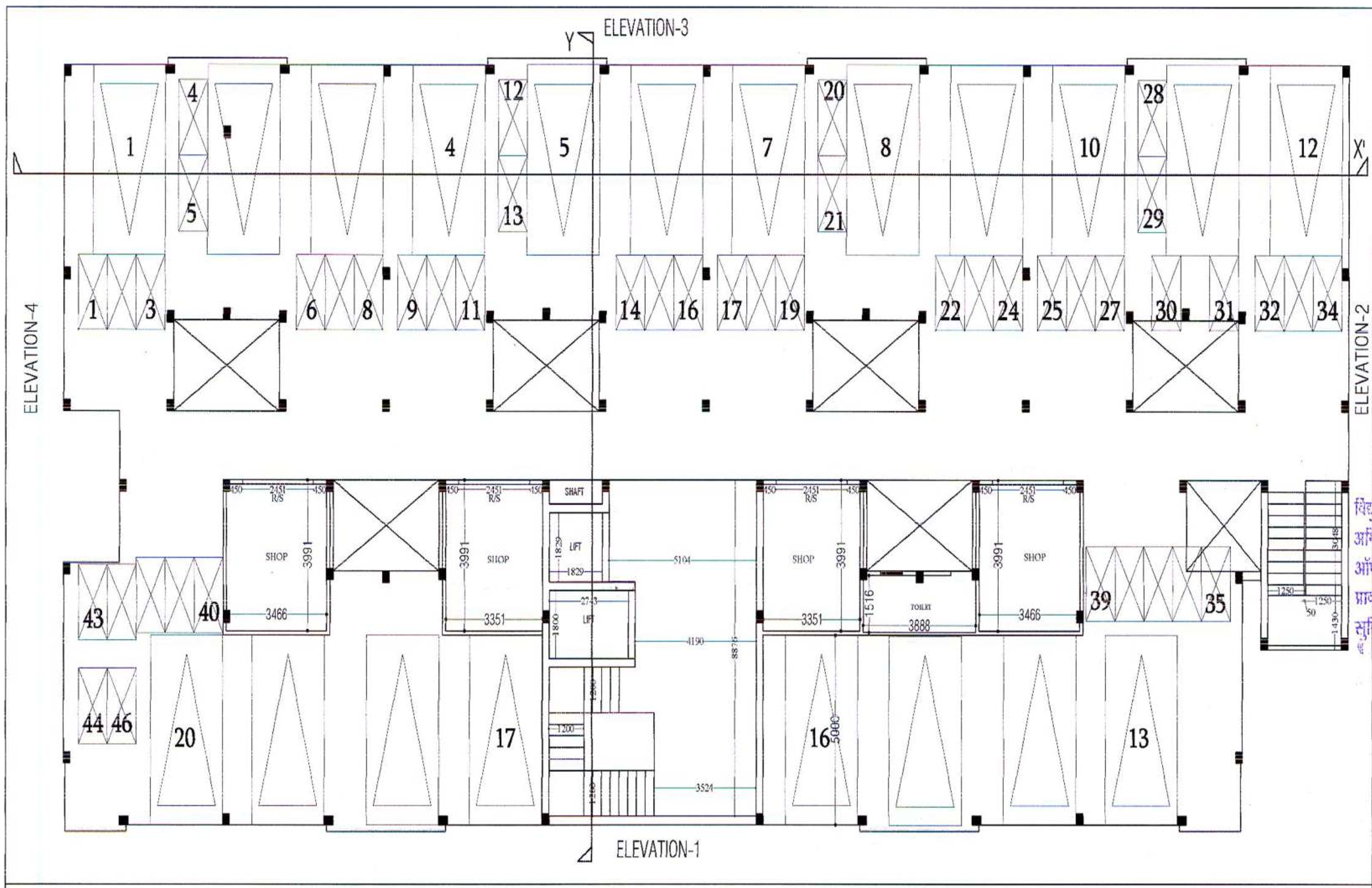

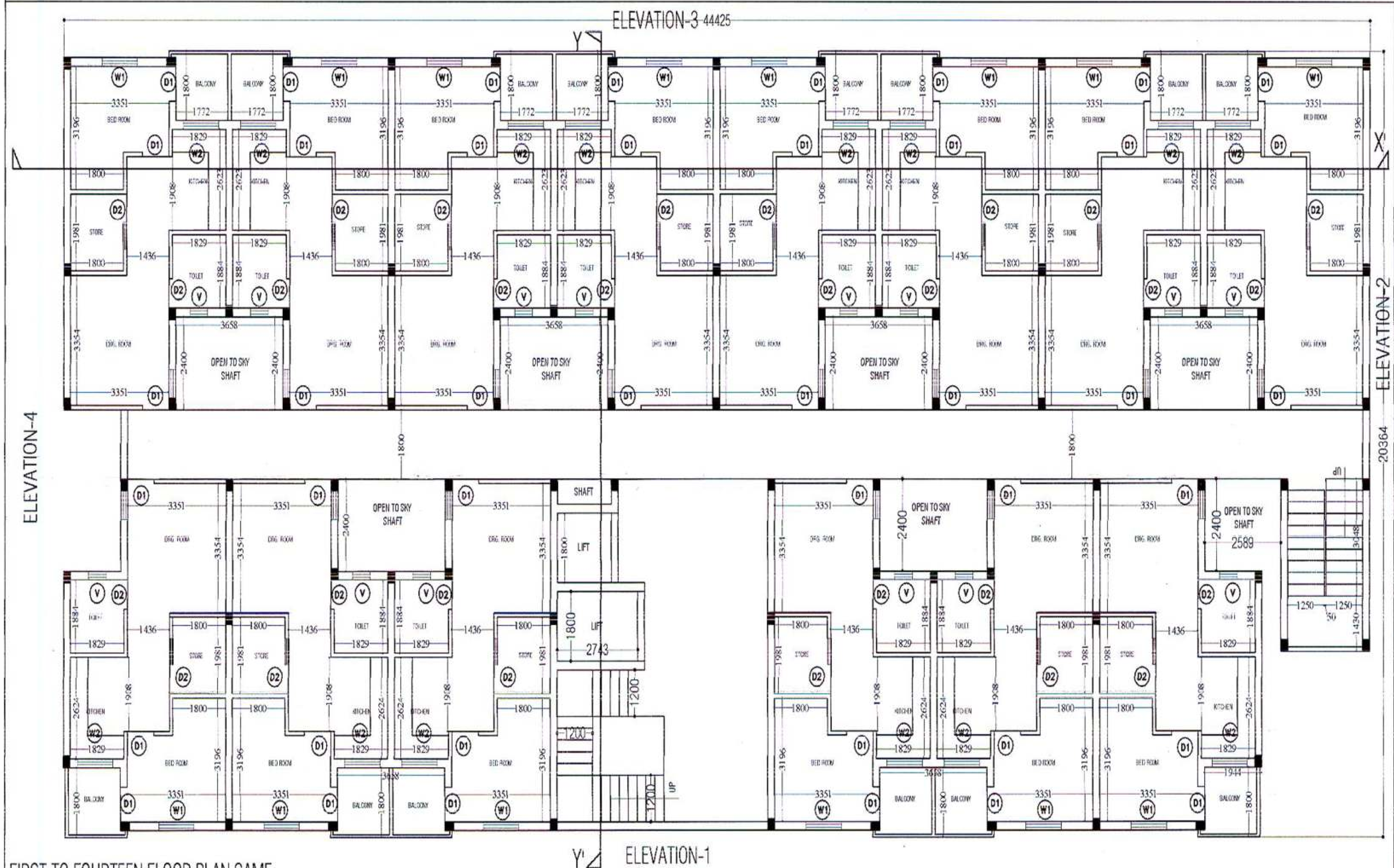

FIRST TO FOURTEEN FLOOR PLAN SAME

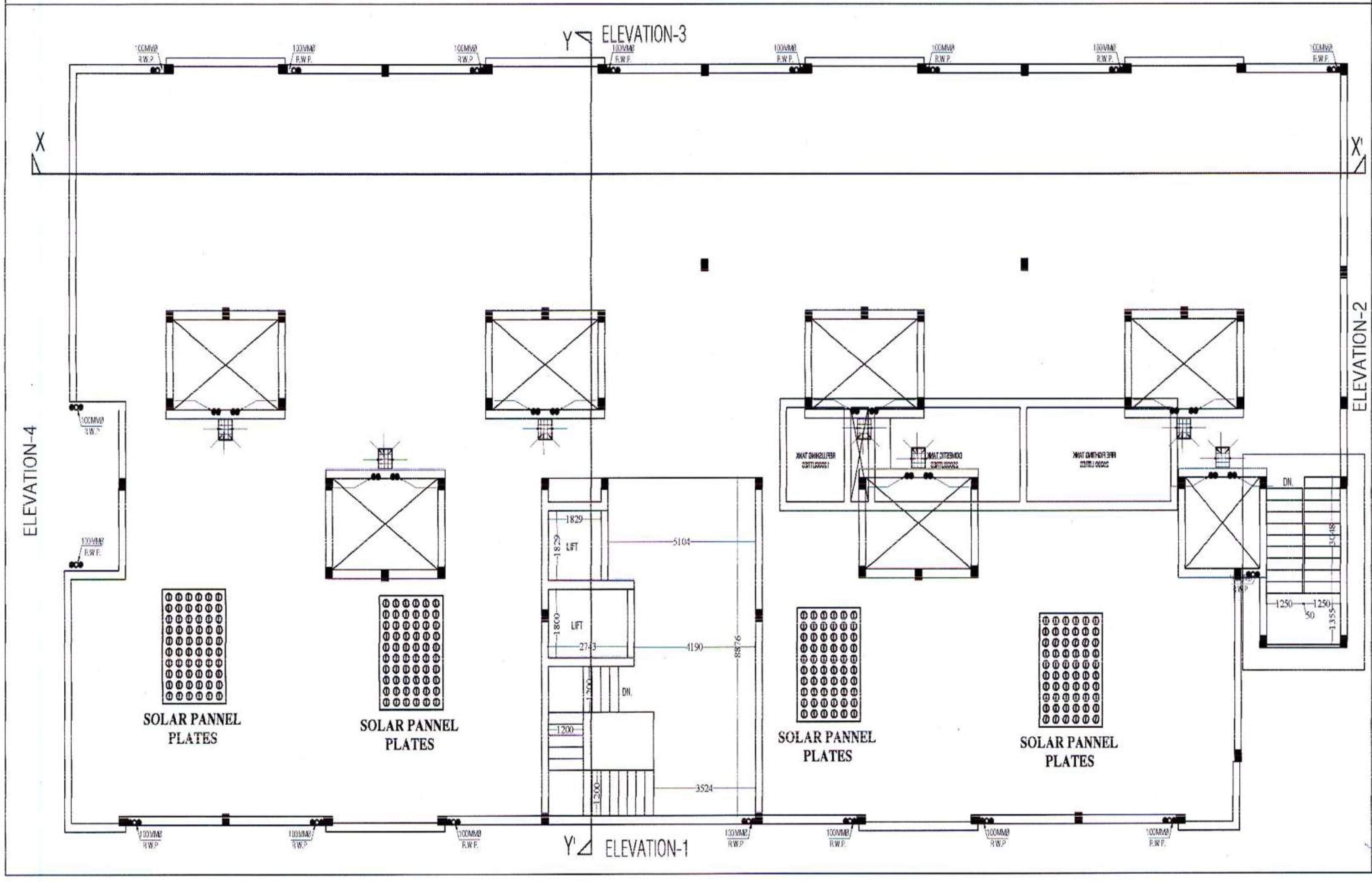

अनुमोदित

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 3/12/13 One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 10783 Dt. 21/12/13

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक ... जाना अनिवार्य होगा।

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/ ... नियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागो के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन विनियम ... न्यास द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। ओर न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन विनियम ... की धारा 12 के ... विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाड़ी

(11)

26/12/13

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाड़ी (अलवर)

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

S. NO.	TYPE	SIZE	SILL. LEVEL	HEIGHT
	D1	900.0	00	2100.0
	D2	750.0	00	2100.0
	W1	1200.0	750.0	2100.0
	W2	750.0	1050.0	2100.0
	V	600.0	1500.0	2100.0

OWNER:-

APNA GHAR BUILDWELL PVT. LTD.

290, NAYA-BASS, ALWAR. RAJASTHAN
Alwar Office: C/O PHOOL BAGH SERVICE STATION
NEAR CIRCUIT HOUSE, ALWAR. Tel. 0144-3241400

KHASRA NO :- 1205, 1206 AT
VILLAGE PIPLI, NEEMRANA, TEH.- BEHROR
DISTT.-ALWAR (RAJ.)

DRG. TITLE:-

TOWER NO.-6 (1-BHK)
STILT FLOOR PLAN
& FIRST TO TWELVE FLOOR PLAN
& TERRACE FLOOR PLAN

DRN. BY:-

Nikhil Anand Mendiratta

SHEET NO.- ~~9~~ 11

SCALE:- 1 : 125

CONSULTANTS:-

Anoop singh & associates

Engineer, Valuer, Architect, Interiors,
68,69 Alka puri Shopping Centre, Alwar (Raj.)
Ph. 0144-(O)2336003(Fax)2332250 (M)09829137096
Email- anoop.s.associate@gmail.com

OWNER'S SIGN

For Apna Ghar Buildwell Pvt. Ltd.
Director

ARCHITECT SIGN.

AR. DARSHAN KAUR C.O.A. CA/2004/32744 ALWAR

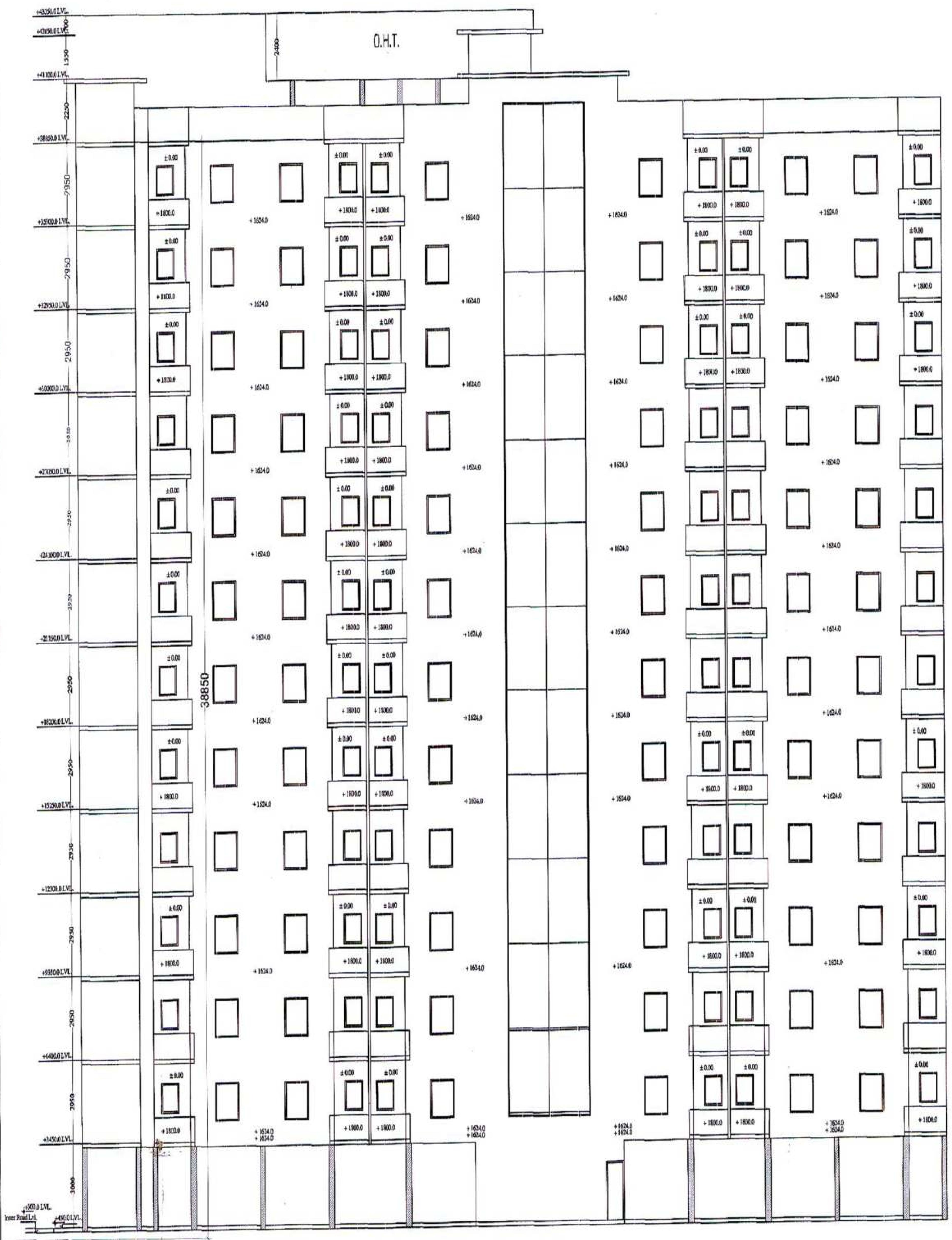

ELEVATION-1

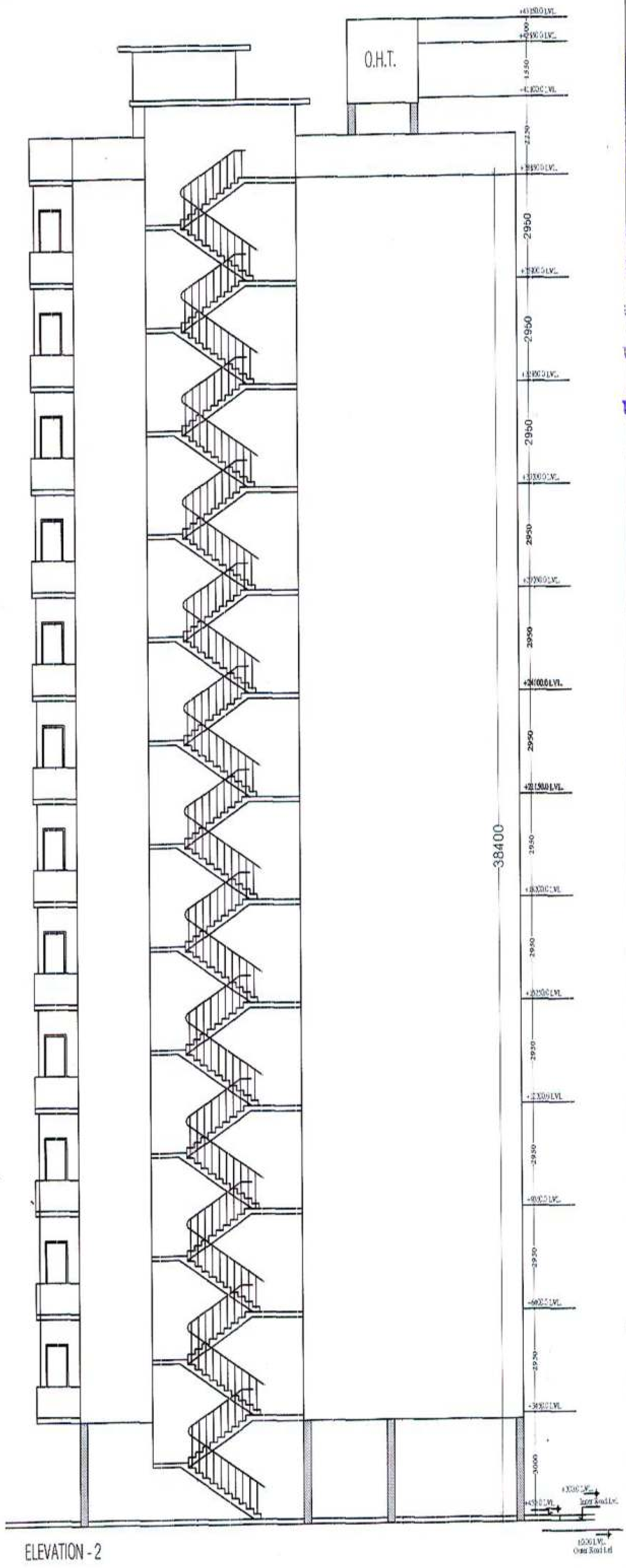

ELEVATION - 2

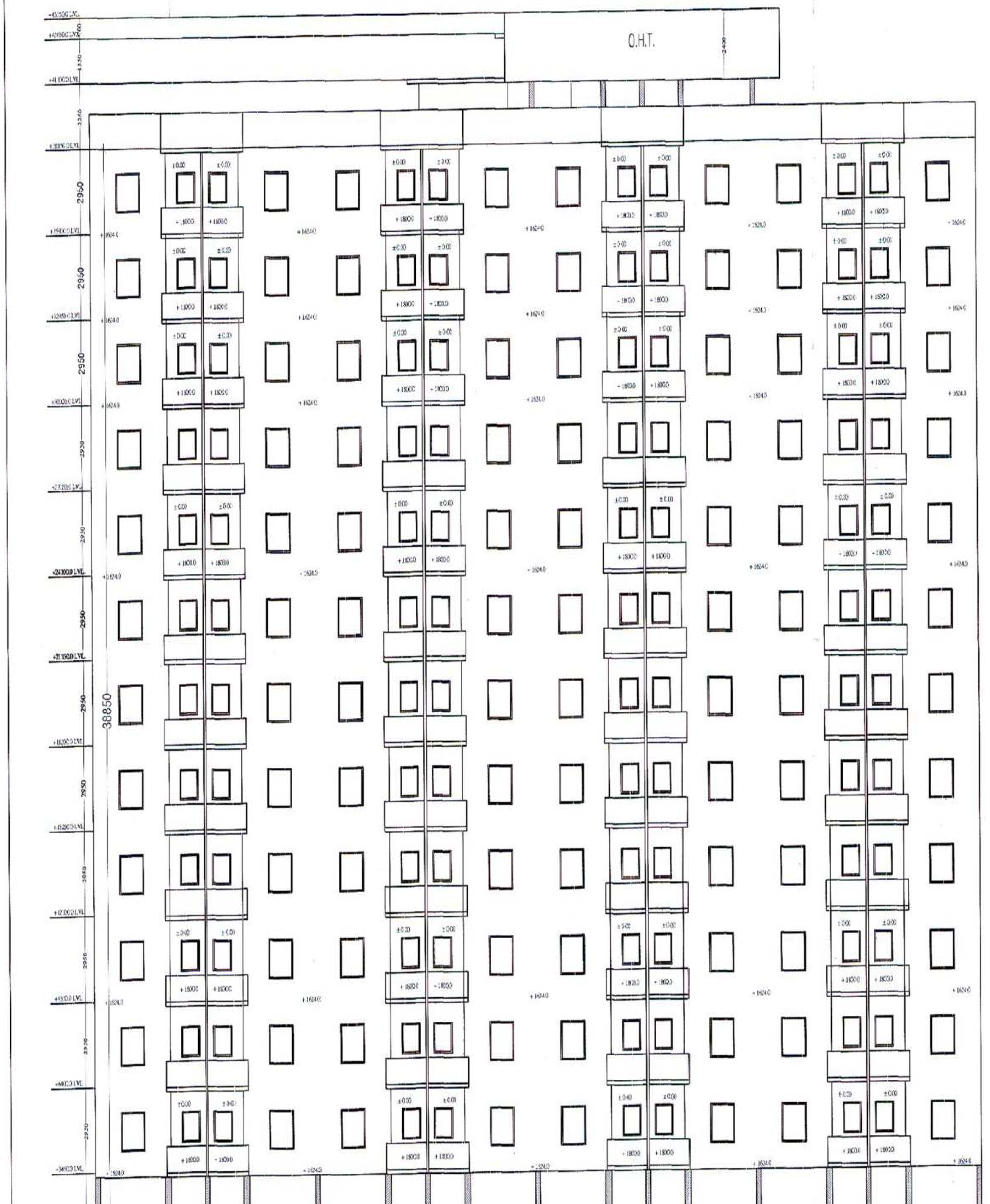

ELEVATION-3

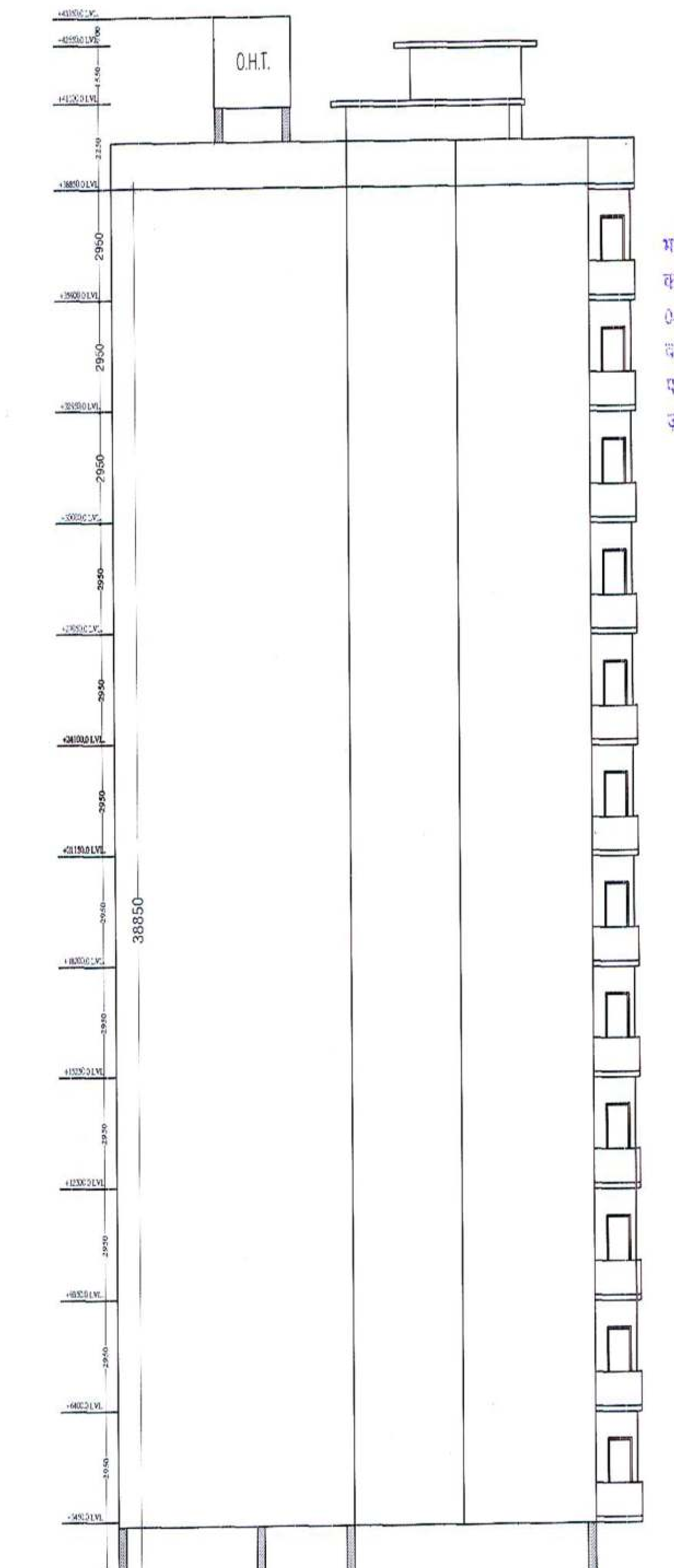

ELEVATION-4

अनुमोदित

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 3/12/13 One Set of Building Plans Approved is Issued Along With Letter No. 10783 Dt. 26/12/13

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

पेड़ लगाओ–हरियाली बढ़ाओ

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

सोर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

विद्युत सेवा में नलकारी [illegible] अग्नि शमन आदि [illegible] कोड ऑफ इण्डिया [illegible] के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन [illegible] न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन [illegible] अन्यथा [illegible] न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 [illegible] प्रमाण पत्र [illegible] द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(12)

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, भिवाड़ी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास भिवाड़ी (अलवर)
28/12/13

OWNER:-

APNA GHAR BUILDWELL PVT. LTD.

290, NAYA-BASS, ALWAR. RAJASTHAN
Alwar Office: C/O PHOOL BAGH SERVICE STATION NEAR CIRCUIT HOUSE, ALWAR. Tel. 0144-3241400
KHASRA NO :- 1205 , 1206 AT VILLAGE PIPLI, NEEMRANA, TEH.- BEHROR DISTT.-ALWAR (RAJ.)

DRG. TITLE:-

TOWER NO.-6 (1-BHK)
ALL ELEVATION'S DETAIL

DRN. BY:-	SHEET NO.- 12
NIKHIL ANAND	SCALE:- 1 : 175

CONSULTANTS:-

Anoop singh & associates
Engineer, Valuer, Architect, Interiors,
68,69 Alka puri Shopping Centre, Alwar (Raj.)
Ph. 0144-(O)2336003(Fax)2332250 (M)09829137096
Email- anoop.s.associate@gmail.com

OWNER'S SIGN. — For Apna Ghar Buildwell Pvt. Ltd. Director

ARCHITECT'S SIGN. — AR. [illegible] KAUR C.O.A. CA/2004/32744 ALWAR

कार्यालय नगर विकास न्यास भिवाडी

क्रमांक 10783/13 दिनांक 26/12/13

भवन निर्माण अनुमति पत्र

मै0 अपनाघर बिल्डवैल प्रा0 लि0

290, नयाबास अलवर

विषयः– मै0 अपनाघर बिल्डवैल प्रा0 लि0 जरिये निदेशक श्री अशोक सैनी द्वारा ग्राम पीपली तह0 नीमराणा के ख0न0 1205, 1206 स्थित भूखण्ड के आवासीय परियोजनार्थ भवन मानचित्र स्वीकृति बाबत।

सन्दर्भः– आपका आवेदन पत्र दिनांक 31.10.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका आवेदन दिनांक 31.10.2013 के अनुसार ग्राम पीपली तह0 नीमराणा के ख0न0 1205, 1206 कुल किता 02 रकबा 26518.30 वर्ग मी0 पर भवन निर्माण स्वीकृति समिति 39वी बैठक दिनांक 03.12.2013 के एजेण्डा नं0 03 पर लिये गये निर्णय भवन मानचित्र निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत किए जाते है।

01. यह स्वीकृति आवंटन पत्र/लीजडीड में उल्लेखित शर्तो के अध्याधीन, अधिकतम 5 वर्ष हेतु मान्य होगी।
02. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं ग्रेटर भवन विनिमय 2011 के प्रावधानो के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
03. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जाएगा।
04. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्त्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति प्रचलित मास्टर प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, न्यास को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी न्यास में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नही होगा।
05. उक्त स्वीकृति के कारण यदि न्यास को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
06. विकासकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल, जी+1 एवं समय समय पर निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से न्यास को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को निरस्त समझा जावेगा।
07. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई एवं स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
08. स्वामी तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में निर्माण कार्य करवायेगा। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में न्यास को देनी होगी।
09. स्वीकृत मानचित्र मौके पर, निर्माण पूर्ण होने तक उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
10. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किग करवाई जावें तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किग का बोर्ड लगवाया जावे।
11. आवासीय भवन हेतु आन्तरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रैनेज, सीवरेज, विद्युत वितरण, सडकें, टेलीफोन लाईन, वर्षा जल संग्रहण, संरचना, स्नानाघर, तथा रसोई के अवशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु रिसाईकिलिंग की व्यवस्था आदि की समस्त जिम्मेदारी विकास कर्त्ता की होगी।
12. प्रस्तुत भवन मानचित्रों मे वर्षा जल संग्रहण संरचना एवं इस से संबंधित प्रावधानो की पालना ग्रेटर भिवाडी भवन विनियम 2011 के प्रावधान अनुसार इसकी पालना सुनिश्चित कि जावे।

13. पार्किंग का प्रावधान ग्रेटर भिवाडी भवन विनियम, 2011 के अनुरूप रखा जाना होगा एवं वाहनो के घूमने/पार्क करने हेतु आवश्यक प्रावधान आवेदक/वास्तुविद द्वारा सुनिश्चित करने होगे मानचित्र में दर्शाये गये अनुसार पार्किंग क्षेत्र हेतु ही आरक्षित रखा जावेगा। इस में किसी प्रकार का निर्माण नही किया जावेगा।
14. भवन मानचित्र जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/ बकाया राशि न्यास द्वारा मांग की जाती है तो विकासकर्त्ता द्वारा वह राशि न्यास कोष में जमा करानी होगी।
15. भवन विनियामों में उल्लेखित अन्य सम्बन्धित प्रावधानों की पालना विकास कर्ता द्वारा की जायेगी।
16. भवन का कुर्सी तल, सडक के तल से न्यूनतम 0.5 मी0 रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।
17. भूखण्ड में प्रत्येक 100 वर्ग मी0 क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो 6 मीटर या इससे अधिक उँचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे।
18. न्यास की अभियांत्रिकी शाखा द्वारा किये जा रहे निर्माण का निरक्षण कर सत्यापन किया जावेगा।
19. भवन विनियम 2011 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधान के अनुसार अग्नि शमन सुरक्षा संबंधित समस्त प्रावधान सुनिश्चित करने होगे।
20. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
21. भवन विनियम 2011 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड, आई.एस. कोड के प्रावधान के अनुसार भूकम्परोधी भवन हेतु भवन संरचना डिजाईन की जाकर तदानुसार संरचनात्मक सुरक्षित भवन बनाये जाने की जिम्मेदारी आवेदक एवं वास्तुविद की होगी।
22. भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्ररम्भ करने से पूर्व प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्राप्त कर आवेदक द्वारा न्यास में प्रस्तुत करगा सुनिश्चित किया जावेगा तथा अधिवास प्रमाण पत्र से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति नियमानुसार प्राप्त करनी होगी।
23. पर्यावरण विभाग भारत सरकार की अधिसूचना एवं प्रावधानो के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने तथा तदानुसार प्रावधान रखने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
24. आवेदक द्वारा 40 EWS तथा 32 LIG ईकाईया कुल 72 ईकाईया प्रस्तावित की गई है। इन इकाईयों का निष्पादन न्यास द्वारा राज्य सरकार की एर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी व परिपत्रों / दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा ।
25. भवन मानचित्रो में व्यावसायिक/सामुदायिक सुविधा ब्लॉक में चतुर्थ, पंचम व छठी मंजिल पर प्रस्तावित सुविधा क्षेत्र सामुदायिक सुविधाओं हेतु ही उपयोग मे लिया जावेगा।

ऊपर वर्णित शर्तो एवं भवन विनियम के प्रावधानो के तहत अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

26/12/17

वरि0 नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

संलग्नः– भवन मानचित्र (1 से 21 तक)

क्रमांकः आयोजना/ दिनांकः

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भिवाड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वरि0 नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास भिवाडी

प्रकरण संख्या ...74/13 वर्ष 2013

श्री हरिसिंह जाटव पुत्र श्री किशन लाल जाटव निवासी ग्राम केसरपुर तहसील अलवर

विषय : राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने ।

आदेश

दिनांक ..24.6.13......

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:–

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय ग्रुप हाउसिंग प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:–

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
नीमराणा	पीपली	1205	0.01
		1206	2.96
		कुल किता 02	2.97 है

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

3. यह है कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने नगर विकास न्यास, भिवाडी तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी (सचिव नगर विकास न्यास भिवाडी) की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है, जिसके अनुसार सडक मार्गाधिकार में आने वाली भूमि को न्यास को निःशुल्क समर्पित करने का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया है । आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का कृषि से अकृषि उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास भिवाडी (अलवर)

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि आवेदित भूमि ग्राम पीपली तहसील नीमाराणा के खसरा नम्बर 1205 व 1206 किता 02 रकबा 2.97 है0 में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय ग्रुप हाउसिंग उपयोग करने हेतु निर्वासित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक अथवा आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक आवासीय ग्रुप हाउसिंग प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा। इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 24.6.13 को पारित किया गया।

Sd/-
प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास भिवाडी
दिनांक 24.6.13

क्रमांक : 553-55/13

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी–

1. सचिव, नगर विकास न्यास भिवाडी
2. तहसीलदार नीमराणा को उपरोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरकर्ता को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. श्री हरिसिंह जाटव पुत्र श्री किशन लाल जाटव निवासी ग्राम केसरपुर तहसील अलवर

प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास भिवाडी